हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

12 जून, 2001 (प्रथम बैठक)

खण्ड 2, अंक 2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 12 जून, 2001

	पृष्ठ संख्या
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2)18
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2)27
घोषणाएं-	(2)29
(क) अध्यक्ष द्वारा-	(2)29
(i) सभापतियों के नामों की सूची	(2)29
(ii) याचिका समिति	(2)29
(ख) सचिव द्वारा-	(2)30
राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गये बिलों संबंधी	(2)30
तारांकित प्रश्न न लगने संबंधी मामला	(2)30

मूल्य : 52

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना	(2)35
सदन की मेज़ पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र	(2)37
वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना/चर्चा तथा मतदान	(2)39
स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना	(2)43
वाक-आउट्स	(2)44
विधान कार्य-	(2)45
1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (अमैंडमैंट) बिल, 2001	(2)45
अविश्वास प्रस्ताव की सूचना	(2)47
विधान कार्य (पुनरारम्भ)	(2)51
2. दि गुड कंडक्ट प्रिज़नर्ज प्रोबेशनल रिलीज (रिपील) बिल, 2001	(2)52
3. दि हरियाणा लोकल एरिया डिवैल्पमैंट टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2001	(2)54
4. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2001	(2)55
5. दि पंजाब न्यू कैपीटल (पेरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2001	(2)59

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 12 जून, 2001

(प्रथम बैठक)

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात: 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादयान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर्ज साहेबान, अब प्रश्न होंगे।

Procurement of Wheat

***633 @Shri Nafe Singh Rathi**
Shri Krishan Lal } : Will the Chief Minister be pleased to state the total quantity of wheat procured by the different State Government Agencies, Central Government Agencies during the year 2001 to-date; togetherwith the income accrued to the Market Committees in the State ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान जी, गेहूँ की खरीद का संस्थावार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े टनों में)

खाद्य विभाग	हैफेड	एफ० सी० आई०	एग्रो	एच० डबल्यू० सी०	कुल
14,88,939	27,20,447	8,30,418	6,79,019	6,73,755	63,92,578

8-6-2001 तक

1-4-2001 से 4-6-2001 तक की अवधि में राज्य की मार्किट कमेटियों द्वारा गेहूँ की आवक से मार्किट फीस से कुल प्राप्त आय 78.08 करोड़ रुपये है जबकि इस अवधि में कुल आय 81.07 करोड़ रुपये प्राप्त हुई है।

चौधरी नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1991 से लेकर वर्ष 2001 तक वर्ष वार अलग-अलग कितनी गेहूं की खरीद हुई और उससे कितनी आय हुई।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर साहब, यह 10 वर्षों की लम्बी चौड़ी लिस्ट है। मैं अपने साथी को बताना चाहता हूं कि वर्ष 1991-92 में 18.34 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 1992-93 में 34.25 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 1993-94 में 13.70 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 1994-95 में 30.49 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 1995-96 में 31.10 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 1996-97 में 20.22 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 1997-98 में 20.90 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 1998-99 में 31.58 लाख मीट्रिक टन, 1999-2000 में 38.70 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2000-2001 में 44.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई। मैं सदन की जानकारी के लिये बताना चाहूंगा कि इस साल यानि 2001-2002 में सारे रिकार्ड तोड़ते हुये 63.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई।

@ Put by Sh. Nafe Singh Rathi

श्री कृष्ण लाल : स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस अवधि के दौरान टोटल मार्किट फीस कितनी प्राप्त हुई और वह किन-किन मदों पर खर्च की गई ? दूसरा सवाल में यह पूछना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर जो यह गेहूं की खरीद विभिन्न एजेंसियों से की गई है उससे प्राप्त आमदनी से किसानों को क्या सहायता दी गई है ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने मार्किट फीस के बारे में पूछा है कि मार्किट फीस कितनी प्राप्त हुई। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वर्ष 1999-2000 के दौरान 105.31 करोड़ रुपये, वर्ष 2000-2001 के दौरान 124.15 करोड़ रुपये व वर्ष 2001-2002 के दौरान यानि 4-6-2001 तक 81.07 करोड़ रुपये की आय हुई है। इसके अलावा 23.02 करोड़ रुपये बोली के माध्यम से प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार कुल 333.55 करोड़ रुपये की आय हुई है। इस प्राप्त हुई राशि में से प्रदेश के रूरल बैकग्राउंड एरिया के डिवैल्पमेंट के लिये भी राशि खर्च की गई है। कुछ पैसा सड़कों की मुरम्मत के लिये खर्च किया गया है। पहले जो सड़कों की जर्जर हालत थी उन सड़कों को ठीक करने के लिये 144.93 करोड़ रुपये खर्च करके 3783 कि० मी० लम्बी सड़कों की रिपेयर करने का बीड़ा हमने उठाया है। इसमें से 100 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं और 3186 किलोमीटर लम्बी सड़कों की रिपेयर कर दी गई है। ठीक इसी प्रकार से नयी सड़कों के निर्माण में ग्रामीण अंचल की 4389 किलोमीटर सड़कें मंजूर की गई हैं जिनमें से 1896 किलोमीटर नई सड़कें बना दी गई हैं। जो नई सड़कें बननी हैं उन पर 124 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और 354.53 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं। माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल यह किया है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों को क्या सुविधाएं दी हैं। मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के किसान को अपना गेहूं बेचने के लिये 10 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। हरियाणा प्रदेश की सरकार ने 373 मण्डियों में सब-यार्ड सैंटर्ज और इसी प्रकार से प्रत्येक सैंटर पर किसान का गेहूं खरीदने का काम किया गया है। वहां पर गेहूं खरीदने के लिये चार ऐजैंसियों-हैफड, एफ०सी०आई०, फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमैंट तथा हरियाणा वेयर हाऊसिंग कॉरपोरेशन ने मिल कर हरियाणा प्रदेश के किसानों का गेहूं खरीदा है। अध्यक्ष महोदय, पहले भी हमारे ये साथी कहते रहे हैं कि गेहूं के रेटस कम होंगे लेकिन सैंट्रल एग्रीकल्चरल प्राईस कमीशन की रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से एक डर था। माननीय साथी श्री मांगे राम गुप्ता जी ने पिछले सैशन में भी यह कहा था कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने कुरुक्षेत्र की वाजपेयी जी की रैली में उनकी बहुत प्रशंसा की फिर भी किसानों के लिये कुछ नहीं मिला। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों को एक तोहफा दिया है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की पहल पर 60 रुपये जो पहले कम होने थे वे खत्म हुए और 30 रुपये और बढ़ाए हैं। (इस समय मेजें थपथपाई गई) इस तरह की सर्कुलेशन दिखाने के लिए कि किसानों को क्या सुविधाएं दी गई हैं मैं यह बताना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार ने किसानों के गेहूं की कीमत की पेमैंट उन्हें 48 घंटे में की है। जिला मुख्यालयों पर सूचना केन्द्र स्थापित किये गए हैं। इस काम को देखने के लिये आई० ए० एस० अधिकारियों की ड्यूटी और जिम्मेदारी लगाई गई है। स्पीकर सर, जो काम विपक्ष के नेता को करना चाहिये था वह काम सदन के नेता को करना पड़ रहा है। सभी मण्डियों में जा-जा कर हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों के गेहूं का एक-एक दाना खरीदेगी जिसकी वजह से हरियाणा प्रदेश की मण्डियों में किसानों ने गेहूं खचाखच भर दिया और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने किसानों का एक-एक दाना खरीदा है और आज भी किसानों का गेहूं खरीद रही है।

श्री धर्मबीर : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय श्री माजरा जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बताया है कि सरकार ने 63,92,578 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में कुल कितने एकड़ जमीन में गेहूं पैदा किया गया है ? (विघ्न) जब हरियाणा प्रदेश में इतना गेहूं बोया ही नहीं गया तो फिर वह खरीदा कैसे गया ? (विघ्न) 40 लाख एकड़ से ज्यादा गेहूं कि पैदावार इस प्रदेश की नहीं है। इसलिए हमें शक है कि इतना गेहूं पैदा नहीं हुआ है। सारे यू० पी० और दूसरे प्रदेशों से गेहूं खरीदा गया है जिसकी वजह से वे यहां चक्कर काटते हैं। मंत्री जी यह बताने की कृपा करें कि कितना गेहूं बोया गया है और हरियाणा में कितना गेहूं पैदा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : इसके लिए आप अलग से क्वैश्चन दीजिए।

श्री रामपाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इनकी नीति दोगली है। ये लोग उस वक्त तो यह कहते थे कि गेहूं के दाम घटेंगे। (विघ्न एवं शोर) चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की अनथक मेहनत की वजह से गेहूं के दाम घटने की बजाय बढ़ गए हैं। (विघ्न एवं शोर) अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने ढोल पीटा कि गेहूं के दाम गिरेंगे परन्तु चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की अनथक मेहनत के कारण ऐसा नहीं हुआ। फिर इन्होंने यह ढोल पीटा कि गेहूं की सरकारी खरीद बन्द हो गई है, गेहूं के दाम गिरेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये लोग शायद भूल गये हैं कि हरियाणा का गेहूं दिल्ली की मण्डियों में जाता था लेकिन आज स्थिति यह है कि दिल्ली से गेहूं हरियाणा की मण्डियों में वापिस आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, न तो अब की बार फलौर मिल मालिकों ने गेहूं की खरीद की है और न ही कर्मचारियों ने होर्डिंग की है इस वजह से किसानों ने समझा कि अब की बार हम बीज भी नहीं रखेंगे और किसानों ने सारा का सारा गेहूं मण्डियों में बेच दिया। सरकार की प्रक्योरमैंट की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से, एक-एक दाना खरीदने की वजह से यह सब हुआ है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि इन्होंने चर्चा की है कि 48 घंटे में हमने पेमैंट की है। मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि मैं खुद मण्डियों में गया था और वहां पर आम तौर पर सबकी यही शिकायत थी कि उनकी समय पर पेमैंट नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय आप चाहें तो सत्ता पक्ष की तरफ से किसी एक मैम्बर को चुन लें और हम भी अपना एक निमाइंदा भेज देंगे और वे दोनों किन्हीं भी 10 मण्डियों में जाकर यह देख लेंगे कि पेमैंट समय पर हुई कि नहीं। मुख्यमंत्री जी ने यहां पर आश्वासन दिया था कि हम किसानों के गेहूं का एक-एक दाना खरीद लेंगे। लेकिन मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि सरकार की नीति की वजह से आज किसान को अपना गेहूं बहुत ही सस्ते दामों पर बेचना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो 373 परचेज सैन्टर्ज बताए हैं तो मैं इस बारे में इनसे यह जानना चाहूंगा कि उन सैन्टर्ज में से अब कितने सैन्टर्ज गेहूं परचेज कर रहे हैं और कितने गेहूं परचेज नहीं कर रहे हैं।

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो कहा है कि किसानों ने कम रेट पर गेहूं बेचा है इनकी यह बात बिल्कुल निराधार है क्योंकि पड़ौसी सूबों के किसान भी हरियाणा में गेहूं बेचने के लिये आए हैं। यह इसलिये है क्योंकि इस पर कोई पाबन्दी नहीं है। जहां तक इन्होंने मंडियों में जाने की बात कही है तो ये किसी भी मण्डी में नहीं गए हैं, ये तो रैली कर रहे थे। ये जहां भी गए होंगे न जाने इनको कौन मिल गया होगा और उसने यह बात कह दी होगी। अध्यक्ष महोदय हरियाणा प्रदेश में बकाया राशि की कोई कम्पलेंट नहीं है सभी की पेमैंट हो गई है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है कि इस बार रिकार्ड तोड़ गेहूं परचेज की गई है। यह बात ठीक है कि इस बार रिकार्ड तोड़ गेहूं कि परचेज की गई है। यह कैसे हुई है यह मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा। इस बार किसान की मांग थी कि गेहूं को 700 रुपये प्रति क्विंटल के दाम पर वे बेचेंगे अगर यह दाम नहीं मिलेगा तो वे गेहूं मण्डियों में नहीं लेकर जाएंगे, अपना एक दाना भी नहीं बेचेंगे। इन्होंने यह बात फैला दी कि गेहूं के पर क्विंटल के दाम में 60 रुपये की कमी की जाएगी। इस बात को सुनकर किसान को चिन्ता पड़ गई। इन्होंने 100 रुपये प्रति क्विंटल करने की बजाए मुख्यमंत्री जी के प्रयास से 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिए और किसान को सैटीसफाई कर दिया। यह बात ठीक है कि इन्होंने रिकार्ड तोड़ परचेज तो कर दी लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इन्होंने यह जो गेहूं की परचेज की है यह स्टेट गवर्नमैंट के बिहाफ पर नहीं की है यह परचेज तो सैंट्रल गवर्नमैंट के बिहाफ पर की है। अध्यक्ष महोदय, सैंट्रल गवर्नमैंट का जो एफ० सी० आई० डिपार्टमैंट है वह इस बात पर अड़ा हुआ है कि स्टेट गवर्नमैंट ने जो गेहूं परचेज की है वह ठीक तरीके से परचेज नहीं की है। क्या इस बारे में मुख्यमंत्री जी कलीयर करेंगे कि यह जो गेहूं कि परचेज रिकार्ड तोड़ की गई है, अगर सैंट्रल गवर्नमैंट ने इसको नहीं उठाया तो स्टेट गवर्नमेंट को सात सौ करोड़ रुपये का नुक्सान हो जाएगा। आज ये मार्किट कमेटियों द्वारा गेहूं की आवक से मार्किट फीस से आमदनी 78 करोड़ रुपये दिखा रहे हैं वह कहीं नहीं दिखायी देगी। इसमें बहुत बड़ा घपला हुआ है। आज ये हरियाणा के लोगों को या हमें खुश करना तो चाह रहे हैं लेकिन इसमें 700 करोड़ रुपये का नुक्सान हुआ है।

मुख्यमंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा अहम प्रश्न है और इस प्रश्न के साथ बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं। गेहूं इतना क्यों पैदा हुआ, गेहूं के ज्यादा दाम कैसे मिले, गेहूं मंडियों में ज्यादा आने की वजह से सरकार का रैवेन्यू कैसे बढ़ा और उस बढे हुये पैसे से विकास के कामों को कैसे गति मिली, यह देखने वाली बात है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी होती है कि मांगेराम जी जैसे सम्मानित सदस्य इस किस्म की बात कह रहे हैं। ये बहुत ही उच्च पदों पर रहे हैं और काफी लम्बे समय से इस सदन के मैम्बर भी रहे है। जब ये पहले कांग्रेस की सरकार के वक्त विधायक थे और उस समय जब चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे तब गेहूं के क्या भाव थे ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे नहीं बल्कि आज भी हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : अब तो गुप्ता जी घी की मन में ही ले जाइये। अध्यक्ष महोदय, जिस जगह की ये बात कर रहे हैं मैं तो उसी जगह पर खड़ा हूं। चौधरी भजनलाल जी की कांग्रेस की सरकार के समय गेहूं के दाम एक रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ते थे। इस तरह से किसानों को अपमानित किया जाता था और जब किसान उस बात को लेकर अपना ऐजीटेशन करते थे तो उस वक्त इनकी सरकार द्वारा उनको जेलों में बन्द किया जाता था। इसी तरह से इनकी सरकार के वक्त में गन्ने के भाव पच्चास पैसे प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ते थे और जब किसान अपनी बात कहते थे तो उन पर घोड़े दौड़ाए जाते थे एवं ठंडे पानी के फव्वारे फैंके जाते थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब भी विपक्ष की सरकार केन्द्र में आयी चाहे वह देवगौड़ा प्रधानमंत्री हों या चाहे अटल बिहारी बाजपेयी जी प्रधानमंत्री हों, गेहूं के दाम 90 और 95 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़े हैं। लेकिन फिर भी आप लोग शोर मचा रहे हैं। यह तो आप सभी को मान कर चलना चाहिये कि पिछले दो सालों से भयंकर सूखे की स्थिति थी लेकिन हमने अपने सीमित साधनों का फिर भी

सदुपयोग किया है। आप इस बात को क्यों नहीं मानकर चलते कि अगर गेहूं की ज्यादा पैदावार हुई तो इसका मतलब गेहूं की ज्यादा बिजाई हुई है। अभी धर्मवीर जी बात कर रहे थे लेकिन ये भिवानी की मंडी के बारे में भी बताएं कि वहां की पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है ? राजस्थान इनके साथ लगता हुआ है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में तो घास भी नहीं उगती फिर गेहूं कहां से पैदा होगी ? अध्यक्ष महोदय, मैं इनको बताना चाहूंगा कि इनकी सरकार ने उस समय बीस लाख टन गेहूं खरीदा था लेकिन हमारी सरकार के वक्त में यह 63 लाख 92 हजार टन खरीदा गया है। ये कह रहे हैं कि गेहूं कि खरीद बन्द हो गयी है लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि यह बिल्कुल निराधार बात है, बेसलैस बात है। आज भी मंडियों में गेहूं की खरीद की जा रही है। हमने किसानों से गेहूं खरीदा है। अगर यह अंदेशा हो गया कि वह गेहूं व्यापारी का है और वह बाहर से खरीदकर लाया जा रहा है तो उसकी सरकार पहले जांच करती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने तो किसानों का रेन टच गेहूं भी खरीदा है, एक-एक भीगा हुआ दाना खरीदा है। इन्होंने यह भी कहा कि इससे स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा भारी नुक्सान हो जाएगा लेकिन मैं इनको बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमें यहां पर चुनकर भेजा है अगर उनके लिये इससे ज्यादा भी नुक्सान सरकार को उठाना पड़ा तो वह भी हम बर्दाश्त करेंगे। हम किसानों के हित चिन्तक हैं। किसानों ने इस देश में अपनी मेहनत से गेहूं पैदा किया है। आपकी सरकार के वक्त में तो कटोरा लेकर दूसरे देशों में भीख मांगा करते थे। आपको तो उनको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने आज सरकार के गोदामों को गेहूं से भर दिया है। आज सरकार के गोदामों में गेहूं सड़ रहा है और सरकार के सामने दिक्कत है कि इसका कैसे उपयोग किया जाए। हमने गेहूं का ज्यादा उत्पादन बढ़ाया है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष मंडियों में उंगली कटवाकर शहीदों में अपना नाम गिनाने के लिये गए थे। मैं 140 मंडियों में स्वयं गया हूं कहीं किसी एक भी मंडी से शिकायत आई हो तो बता दें जहां 610 रुपये प्रति क्विंटल से कम रेट पर गेहूं खरीदी गई हो, वहां हम इंक्वायरी कराएंगे और जहां तक पेमेन्ट की दिक्कत की बात कर रहे थे पेमेन्ट की कोई दिक्कत नहीं है। पेमेन्ट आसानी से मिल रही है, यह ठीक है कि गेहूं का उत्पादन ज्यादा था और वह इसलिये ज्यादा था कि हमने ज्यादा मात्रा में बिजली दी थी, ज्यादा मात्रा में पानी दिया था, हमने उन ड्रेनों में सिंचाई का ज्यादा पानी चलाया जो ड्रेनें फ्लड का पानी दरिया में डालने का काम करती हैं। अब जेठ का महीना है उसके बावजूद कहीं से एक भी शिकायत आई हो कि बिजली या पानी का अभाव रहा हो तो ये बताएं ? आपको सरकार की उपलब्धि की दाद देनी चाहिए। केन्द्र में हमारी सरकार है और वहां हमने निवेदन करके गेहूं के दाम बढ़वाए और किसान का गेहूं खरीदा। आपके समय में गलत नीतियों जैसे कि मार्किट फीस बढ़ाए जाने से व टैक्स बढ़ाये जाने से हमारे यहां की मंडियों का गेहूं दूसरे प्रदेशों की मंडियों में जाकर बिकता था, जितनी भी मंडियां थीं, वह उजड़ गईं थीं अब उन मंडियों में गेहूं के ढेर लगे हैं और उल्टे बांस बरेली को गए हैं दिल्ली का उत्पादन हरियाणा में आकर बिका है, उसका कारण यह है कि हमने टैक्सों में सुविधा दी है और इंस्पैक्ट्री राज को खत्म किया है। भाव ज्यादा तय किये हैं । पहले लोग स्टॉक किया करते थे लेकिन अब उनके दिमाग में यह बात आ गई कि इससे ज्यादा भाव मिल नहीं सकते। हमारी सरकार की नीति है कि हम किसान को ज्यादा दाम देते हैं और उपभोक्ता को सब सीडाइज्ड रेट पर देते हैं। मोल लेकर खाने वालों की सोच थी कि चार रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलेगा तब खरीदेंगे। हमारे नीतिगत निर्णय का परिणाम है इसकी वजह से रेवेन्यू 333 करोड़ रुपये के लगभग गेहूं के मामले में आया है इससे विकास के कामों को गति मिलेगी। पहले आप लोग कहा करते थे कि ये घोषणा मंत्री हैं

[श्री ओम प्रकाश चौटाला]

तो मैं कहना चाहता हूं कि घोषणाएं इस तरह से ही पूरी होती हैं। स्टेट के हित में हम रैवेन्यू को बढ़ाना चाहते हैं। सही बात को सही मानना चाहिए, अच्छे रचनात्मक सुझाव देने चाहिएं। हैल्दी क्रीटीसिज्म देना चाहिए और जो बात करनी है, चर्चा करनी है इस सदन में करें। 13 तारीख की मीटिंग आप रख रहे हैं उसके बजाय जो बात आपने करनी हैं यहीं करें। बाथरूम में मत चले जाना मुझे इस बात की चिंता है।

Criteria-Fixed For Promotion

***650. Shri Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the rules/criteria fixed for the promotions to the post of Assistant Engineers from the post of Junior Engineers in H.V.P.N. for degree holders;

(b) whether the seniority of Junior Engineers is counted from the date of obtaining of AMIE/BE Degree or from the date of joining as Junior Engineer; and

(c) whether the same rules/criteria are similar to the other Public Works Department of the State Government ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम में सहायक अभियन्ताओं/ए०ई०/ के 35 प्रतिशत पद पात्र कनिष्ठ अभियन्ता-1/जे०ई०-1/तथा कनिष्ठ अभियन्ता/जे०ई० में से पदोन्नति करके भरे जाते हैं। इसलिए डिग्री तथा डिप्लोमा होल्डर कनिष्ठ अभियन्ता पदोन्नति कोटा के विरुद्ध सहायक अभियन्ता के पद पर निम्नलिखित तरीके से पदोन्नत किये जाते हैं :—

1. 22-1/2 प्रतिशत पद, उन कनिष्ठ अभियन्ताओं-1 में से भरे जाते हैं जिनके पास न्यूनतम योग्यता 3 वर्ष का डिप्लोमा हो तथा कनिष्ठ अभियन्ता-1 के पद पर 5 वर्षों का अनुभव हो।
2. 12-1/2 प्रतिशत पद उन कनिष्ठ अभियन्ताओं में से भरे जाते हैं जिनके पास ए० एम० आई०ई०/बी०ई० की डिग्री हो तथा कनिष्ठ अभियन्ता के पद पर 5 वर्षों का अनुभव हो।

(ख) सहायक अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के उद्देश्य के लिए उन कनिष्ठ अभियन्ता-1 को वरिष्ठता में शामिल किया जाता है जो दोनों योग्यताएं पूरी करते हों अर्थात पदोन्नति पर विचार करने की तिथि पर कनिष्ठ अभियन्ता-1 के रूप में 5 वर्षों का अनुभव तथा डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो। ए०एम०आई०ई०/इन्जीनियरिंग स्नातक योग्यता रखने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं के मामले में पद नाम सूची उस तिथि से, जिस तिथि से कर्मचारी कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में 5 वर्षों के अनुभव तथा ए०एम०आई०ई०/इन्जीनियरिंग स्नातक की डिग्री ये दोनों

शर्तें पूरा करने वाले कनिष्ठ अभियन्ताओं में से पदोन्नत किये जाते हैं इनकी रैंकिंग लिस्ट/पद नाम सूची/अधिसूचना प्रत्येक वर्ष प्राय: प्रथम जनवरी को तैयार की जाती है।

कनिष्ठ अभियन्ता-1 या कनिष्ठ अभियन्ता के रूप में उनकी वरिष्ठता उस पद पर उनकी ज्वाइनिंग करने की तिथि से गिनी जाती है।

(ग) राज्य सरकार में पब्लिक वर्क्स विभाग हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के उपरोक्त नियमों तथा नार्म्ज /मानदण्ड/से भिन्न नियम तथा मानदण्ड रखता है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैने अपने मेन सवाल में डिप्लोमा होल्डर कनिष्ठ अभियंताओं की प्रमोशन पॉलिसी के बारे में पूछा था। 1977 में चौधरी देवी लाल जी मुख्यमंत्री थे उस समय मार्किटिंग बोर्ड, पी० डब्ल्यू० डी०, बी० एण्ड आर०, एम० आई० टी० सी०, इरीगेशन, हुडा, हाउसिंग बोर्ड, एच० एस० ई० बी० सभी में सेम पॉलिसी थी। कोई भी ए० एम० आई० ई० बी० ई० करके आता है तो उसको डेट ऑफ ज्वाइनिंग के हिसाब से प्रमोशन दी जाती थी। लेकिन 1993 के अन्दर उस पोलिसी में बोर्ड लेवल पर अमेंडमेंट की गई हैं कि जो डिग्री लेकर आता है और जूनियर है परन्तु उसकी डिग्री पास करने की तिथि से उसको प्रमोशन दे दिया गया है। मैं चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि जब दूसरे विभागों में आज भी पहले की पोलिसी लागू है तो एच० बी० पी० एन० में उस पोलिसी को बंद क्यों किया गया है ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, यह ठीक है कि 1977 में इंसट्रक्शंज जारी की गई थीं और उन इंसट्रक्शंज पर कार्यवाही भी शुरू हो गई थी और प्रोमोशन भी हो गये थे। परन्तु उस समय रूल्ज में अमेंडमेंट नहीं की गई थी और न ही रूल्ज को बदला गया था और इंसट्रक्शंज जारी होने के बावजूद पहले के जो रूल्ज थे वे भी साथ-साथ चलते रहे और उन पर आधारित प्रोमोशन भी होती रही और उसके बाद कुछ अधिकारी कोर्ट में भी चले गये जब कोर्ट में मामला गया तो उस समय यह बात नोटिस में आई कि इंसट्रक्शंज जारी की गई हैं परन्तु रूल्ज पहले वाले ही हैं। इस बात को मध्य नजर रखते हुये सरकार ने यह निर्णय किया कि इंसट्रक्शंज को रूल्ज से ऊपर नहीं माना जा सकता इसलिये पहले के रूल्ज को विदड्रा किया गया जिसके कारण कई अधिकारी इफैक्ट हुये क्योंकि उनका पहले प्रोमोशन हुआ था परन्तु बाद में उनका डिमोशन हो गया और वे कोर्ट में चले गये। कोर्ट ने भी इस बात को माना कि रूल्ज इंसट्रक्शंज से सुपीरियर हैं। इसलिये रुल्ज को मान्यता दी गई। जिसकी वजह से बिजली बोर्ड में 35 प्रतिशत सीटें बाई प्रोमोशन और 65 प्रतिशत सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमैंट से भरी जाती हैं। यह ठीक है कि डिपार्टमैंट में सीनियरिटी इंटैक्ट की जाती है परन्तु एच० बी० पी० एन० में डिग्री पास होने की तिथि से माना जाता है। अगर कोई अधिकारी डिग्री पास करने के बाद और दूसरी एसेंसियल क्वालिफिकेशन पूरी कर लेता है तो उसको प्रोमोशन दे दिया जाता है। 1993 से पहले दूसरे विभागों के और बिजली बोर्ड के रूल्ज समान थे। 1993 में बिजली बोर्ड के नये रूल्ज बना दिये गये हैं और अब नये रूल्ज को फोलो किया जाता है।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी महोय ने बताया कि 1977 में सर्विस रूल्ज बराबर थे परन्तु 1993 में बिजली बोर्ड के रूल्ज में एमेंडमेंट की गई है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंज जारी की हैं कि डेट ऑफ ज्वायनिंग को मुख्य मानकर

[श्री कृष्ण लाल]

कोई प्रोमोशन की जाये न कि डिग्री पास करने की तिथि को मान कर प्रोमोशन दी जाये। जैसे 'ए' अधिकारी सीनियर है परन्तु 'बी' अधिकारी ने उससे पहले डिग्री पास कर ली है तो 'बी' अधिकारी को प्रोमोशन दे दिया जाता है इस तरह जुनियर अधिकारी की तो प्रोमोशन कर दी जाती है और सीनियर अधिकारी उससे पीछे रह जाता है परन्तु दूसरे विभागों में आज भी पहले के रूल्ज लागू हो रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूँ कि इस मामले को एग्जामिन करके फिर से इस पर विचार किया जाये।

श्री राम पाल माजरा : स्पीकर सर, जब इंसट्रक्शंज जारी की थी और उससे जो लोग इफैक्ट हुये थे उनमें से एक अधिकारी श्री पृथ्वी सिंह ने कोर्ट में केस दायर किया था और माननीय न्यायाधीश महोदय ने यह फैसला दिया था कि जो इंसट्रक्शंज जारी की गई हैं वे रूल्ज से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिये माननीय सदस्य के दिमाग में इस तरह की कोई बात है तो वे हमारे नोटिस में लायें हम उसको एग्जामिन करवा देंगे अगर उस अधिकारी का राईट बनता होगा तो उसको जरूर मिलेगा।

Consolidation

***673 Shri Balbir Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to conduct the consolidation of land holding of the following villages of Meham Constituency :—

1. Nidana;
2. Bhaini Chanderpal;
3. Girawar;
4. Mokhra-Kheri-Roj; and

(b) if so, the time by which it is likely to be conducted ?

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह) :

(क) जी हां।

(ख) गांव निदाना, भैणी चन्द्रपाल तथा गिरावड़ में चकबन्दी कार्य चल रहा है। गांव मोखरा खेड़ी रोझ में चकबन्दी की जानी सम्भावित है। इन गांवों में चकबन्दी कार्य जून, 2002 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

श्री बलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जो इस प्रश्न में गांवों के नाम दिये गये हैं उन गांवों में चकबंदी का काम कब तक पूरा कर लिया जायेगा। मोखरा खेड़ी रोझ गांव में चकबंदी का काम कब शुरू किया जायेगा ?

श्री धीरपाल सिंह : स्पीकर सर, मैंने आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी दी है कि मोखरा खेड़ी रोझ गांव को छोड़कर बाकी गांवों का चकबंदी का काम जून, 2002 तक पूरा

कर लिया जायेगा। मोखरा खेड़ी रोझ गांव की चकबंदी के लिये कुछ अड़चने आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर करवाकर चकबंदी का काम शुरू कर दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मोखरा खेड़ी 10.00 बजे | रोझ गांव में चकबन्दी पहली बार 1990 में प्रकाशित हुई थी परन्तु भू-स्वामियों द्वारा चकबन्दी कार्य में सहयोग नहीं दिया क्योंकि वे चाहते थे कि उनका मोखरा तथा खेड़ी रोझ गांव दो अलग-अलग गांव हैं उनको पहले हदबस्त नम्बर दिये जाए एक तो मोखरा खेड़ी और दूसरा मोखरा रोझ, इन गांवों में पहले हदबस्त का काम पूरा कर दिया जाए उसके बाद हम चकबन्दी के कार्य में सहयोग देंगे। ऐसा वहां के लोगों का सुझाव था। अब मोखरा खेड़ी और मोखरा रोझ दो अलग-अलग गांव बना दिये गये हैं, दो हदबस्त बना दिये गये हैं, इस बारे अधिसूचना जारी कर दी गई हैं। इन गांवों को हदबस्त नम्बर देने के लिये मामला उपायुक्त रोहतक के पास विचाराधीन है। अलग-अलग हदबस्त जारी होते ही इन गांवों में चकबन्दी का कार्य शुरू हो जायेगा।

चौ० जगजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दादरी तहसील के कुछ गांव ऐसे हैं जहां आज तक चकबन्दी का काम नहीं हो पा रहा है। पैंतावास खुर्द और छपार दो बड़े-बड़े गांव हैं इन गांवों में बहुत बड़ा रकबा है और इन गांवों में चकबन्दी न होने की वजह से रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन गांवों में चकबन्दी करवाने का फैसला कब तक लेंगे।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में 89 गांव ऐसे हैं जो चकबन्दी की सुविधा से वंचित रह गए हैं। इन 89 गांवों में जहां-जहां कार्य शुरू हो रहा है उसमें भिवानी भी है और भिवानी की दादरी तहसील भी है। इसके इलावा 89 में से 22 गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी का कार्य शुरू नहीं हो पाया है और उसका कारण यह है कि इन 22 गांवों के निवासी सहयोग नहीं दे रहे। बार-बार चकबन्दी का कार्य पूर्ण होने के बाद ये लोग न्यायालय में चले जाते हैं और कब्जे ग्रहण करने में सहयोग नहीं देते। इस प्रकार 89 में से 22 गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

चौ० नफे सिंह राठी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ उप-मण्डल में कई बड़े-बड़े गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी का कार्य नहीं हुआ है जैसे छारा, मांडौठी और आसोदा। क्या सरकार इन गांवों में चकबन्दी करवाने के बारे में विचार करेगी।

श्री धीरपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिला झज्जर के 8 गांव ऐसे हैं जहां चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है जैसे छारा, मांडौठी, बाडसा, आसौदा टोड्रान, बराही खेड़ी, मोहम्मदपुर माजरा, कलोई। छारा गांव में चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है, मांडौठी गांव जो माननीय विधायक जी के हल्के में आता है, में भी चकबन्दी की स्कीम बनाई जा रही है, इसी तरह बाडसा में भी चकबन्दी की स्कीम चल रही है। चूंकि स्टाफ का अभाव है, इन 89 गांवों में से 35 गांवों को छोड़कर 54 के करीब गांवों में चकबन्दी का कार्य चल रहा है। उपरोक्त झज्जर के 8 गांवों में से खेड़ी को छोड़कर बाकी सभी गांवों के लिये ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के निर्देश हैं कि जल्दी से जल्दी चकबन्दी का कार्य पूर्ण कर दिया जाए। खेड़ी गांव में क्योंकि जोतों का विभाजन होना है इसलिये वहां यह कार्य पूर्ण होने के बाद चकबन्दी के कार्य को टेक अप करेंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या 648

(इस समय माननीय सदस्य श्री तेजवीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिये यह प्रश्न नहीं पूछा गया।)

Creation of a Division of Electricity Board

***668. Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to create a Division of Electricity Board in Guhla; and

(b) if so, the time by which, it is likely to be created ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क एवं ख) नहीं श्रीमान, गुहला में एक परिचालन बिजली मंडल गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री अमर सिंह ढांढे : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की लोकप्रिय सरकार ने किसानों को 24 घण्टे बिजली देने का वायदा किया था उसके तहत मेरे हल्के में एक 220 के० वी० ए० का सब-स्टेशन और तीन 132 के० वी० ए० के सब-स्टेशंज की मंजूरी हो चुकी है। वहां पर 2 सब-डिवीजन पहले ही काम कर रही हैं और तीसरी सब-डिवीजन सीवन है जो कैथल में पड़ती है उसको कैथल से हटाकर गुहला में जोड़ दिया जाए जो कि मेरे हल्के में पड़ता है। इसके लिये जो भी शर्तें बनती हैं वे सारी पूरी होती हैं अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको पूरा करने के लिए हम तैयार हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गौर करे ताकि किसानों को पूरी सुविधा मिल सके।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : अध्यक्ष महोदय, अमर सिंह जी गुहला में जो बिजली बोर्ड का डिविज़न बनाने की बात कर रहे हैं वह अपने नार्म्ज पूरे नहीं करता। वहां पर कुल मिलाकर 9263 कनैक्शन हैं और नार्म्ज के मुताबिक 16000 कनैक्शन होने चाहिएं। इसके अतिरिक्त परिचालन बिजली मंडल गठन करने के लिये 7 सब-डिविज़न होने चाहिएं लेकिन वहां पर 4 से 6 ही सब-डिविज़न हैं यानि की गुहला अपने नार्म्ज पूरे नहीं करता इसलिये वहां पर अभी परिचालन डिविज़न बनाने की कोई स्कीम नहीं है।

Setting up of Agriculture Based Industry at Dabwali

***636. Dr. Sita Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to set up an agriculture based industry in Dabwali in near future; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : हां श्रीमान जी। डबवाली में 731 लाख रुपये की लागत से एक फूड पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

डॉ० सीताराम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि डबवाली में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करना सरकार के विचाराधीन है तो कब तक स्थापित किया जायेगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इसके लगने से किसानों के क्या-क्या फायदे होंगे और इससे कितने लोगों को डायरैक्ट व इन-डायरैक्ट रूप से रोज़गार मिलेगा ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : अध्यक्ष महोदय, सभी को मालूम है कि हमारे देश में अनाज का भण्डार बहुत ज्यादा है और अनाज को संभाल कर रखने में बहुत कठिनाई आ रही है। अनाज के भण्डारण के लिये हरियाणा मार्कैटिंग बोर्ड ने अभी 60 शैलटर भी बनाये हैं। केन्द्र में कांग्रेस की सरकार ने ड्ब्लयू० टी०ओ० पर हस्ताक्षर करते समय न तो स्टेटस के मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श किया और न ही विपक्ष के नेता से विचार-विमर्श किया। उन्होंने अपनी मर्जी से ड्ब्लयू० टी० ओ० पर हस्ताक्षर कर लिये और किसानों की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमारे माननीय प्रधान मंत्री वाजपेयी जी ने उस समय ड्ब्लयू० टी० ओ० पर कांग्रेस द्वारा किये गये हस्ताक्षर से किसानों पर जो भार पड़ा उसका मुकाबला करने के लिये सभी स्टेटस के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई और विचार-विमर्श किया कि किसानों पर से वह भार कैसे कम किया जाये, यह बहुत ही सराहनीय कार्य किया है इसके लिये मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। जहां तक मेरे साथी ने डबवाली में कृषि आधारित उद्योग लगाने के बारे में सवाल किया है, इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि कुछ समय पहले भारत के कृषि मंत्री श्री नितीश कुमार जी हिसार में आये थे। उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों की समस्याओं का जिक्र उनके सामने किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे कहा था कि जब तक फूड पार्क, प्रोसैसिंग प्लांट नहीं बनाये जायेंगे तब तक किसानों की हालत नहीं सुधरेगी। मैं नितीश कुमार जी का धन्यवादी हूं कि मुख्यमंत्री जी की बात को उन्होंने उसी समय मान लिया और उन्होंने हरियाणा में चार फूड पार्क बनवाने का वायदा किया। इन चार प्लांटों पर लगभग 7.31 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा जिनमें से 4 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार देगी और 3.31 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार लगायेगी। 15-5-2001 को इस बारे में प्रपोजल बना ली गयी है और एक प्लांट डबवाली जिला सिरसा में, एक साहा जिला अम्बाला में, एक झज्जर में और एक प्लांट नरवाना जिला जीन्द में लगाये जायेंगे। इन प्लांटस को जल्दी से जल्दी लगाया जायेगा और इनके लगने से प्रदेश के किसानों को अधिक से अधिक लाभ होगा।

डॉ० सीता राम : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इस उद्योग के लगने से वहां के एरिया के कितने लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल पाएगा ? कृपया मंत्री महोदय स्पष्ट करने का कष्ट करें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि फूड पार्क संबंधी उद्योगों का विस्तृत वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है : फल एवं सब्जी, दूध एवं दूध उत्पाद, अनाज प्रसंस्करण, पौधारोपण, मांस एवं मुर्गी पालन उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, मछली पालन आदि। जो लोग खेती संबंधी काम करते हैं उन सभी को इन सब चीजों में फायदा होगा।

Opening of PHCs

***682. Shri Bhagwan Sahai Rawat :** Will the Minister of State for Health be pleased to state, whether, there is any proposal under consideration of the Government to open PHCs at Uttawar, Nagal Jat and Aurangabad in Hathin constituency ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डॉ० एम० एल० रंगा) : जी नहीं। उटावड़, नांगल जाट तथा औरंगाबाद में पहले से ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं। इन स्थानों पर भवनों के निर्माण हेतु कार्यवाही विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने पूछा है कि क्या उटावड़, नांगल जाट तथा औरंगाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सराकर के विचाराधीन है। इस संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उटावड़ में पहले ही 1988 से पी०एच०सी० चल रही है। नांगल जाट में 1985 से पी०एच०सी० चल रही है और औरंगाबाद में 1958 से पी०एच०सी० काम रही है।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा कि उटावड़, नांगल जाट और औरंगाबाद में अभी भवन नहीं हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चौपाल या छोटे कमरे में चल रहे हैं। इसलिये क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवनों की क्या दस्तुस्थिति है और कब तक इन भवनों के निर्माण का काम पूरा हो जायेगा ? इसके अलावा 1-6-2001 को इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की क्या पोजीशन है, मंत्री महोदय यह भी बताने का कष्ट करें।

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि उटावड़ गांव में पी०एच०सी० कोओपरेटिव बैंक की बिल्डिंग में चल रही है। जहां तक इस पी०एच०सी० के भवन निर्माण की बात है, हमने ग्राम पंचायत को भूमि देने के लिये लिखा था। नोर्म्ज के हिसाब से ढाई एकड़ जमीन की रिक्वायरमैंट है परन्तु ग्राम पंचायत ने अभी तक 1 कनाल 12 मरले भूमि दी है। हमने उनको लिखा है कि वे भूमि को पूरा कर के दें ताकि भवन निर्माण के लिये आगे की कार्यवाही जल्दी से जल्दी की जा सके। इसी प्रकार नांगल जाट गांव में भी 1985 से पी० एच० सी० चल रही है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण के लिये जितनी भूमि चाहिए थी वह ग्राम पंचायत ने दे दी है और यह भूमि स्वास्थ्य विभाग के नाम भी हो गई है। इस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुये हमने इस भवन निर्माण के लिये 31 लाख 58 हज़ार रुपये इयर मार्क भी किये हुए हैं तथा डिजाइन वगैरह बनाने के लिये भी कह दिया गया है। इस भवन का निर्माण कार्य इसी सत्र के अन्दर ही जल्दी से जल्दी करवा देंगे। औरंगाबाद की पी०एच०सी० ज्वाइंट पंजाब के टाइम से ही 1958 से काम कर रही है। इस पी०एच०सी० के भवन निर्माण के लिये जमीन स्थानांतरित 1992 में हो चुकी है और उसके बाद हमने डिजाइन वगैरह तैयार करने के लिये लिखा है। हमने इसके लिये प्री-प्लानिंग में पैसा रखा हुआ है। जैसे ही डिजाइन तैयार होकर आ जाएगा हम उसकी मंजूरी लेकर बजट एलोकेशन करवाकर तत्काल निर्माण कार्य करवा देंगे। जहां तक सम्मानित सदस्य ने स्टाफ पोजीशन की बात कही है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि इन तीनों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में एक-एक डाक्टर है तथा 4-5 दिन पहले एक-एक डाक्टर और डैपुटेशन पर भेज दिया गया है और आने वाले समय में उन्हें रैगुलराइज करके स्टाफ की कमी को भी पूरा कर दिया जाएगा।

श्री कृष्ण लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि पी०एच०सी० को सी० एच० सी० में प्रोमोट करने के लिये क्या क्राइटेरिया हैं ? मेरे हल्के के अन्दर मतलौडा कस्बा है जो कि ब्लॉक हैडक्वार्टर है। क्या मंत्री महोदय कोई सर्वे वगैरह करवाकर वहां की पी०एच०सी० को सी० एच० सी० में प्रोमोट करने के प्रस्ताव पर कोई विचार करेंगे ? अगर इसे प्रोमोट करेंगे तो कब तक ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय साथी ने पी० एच० सी० से सी० एच० सी० को बदलने के बारे में पूछा है। मैं इनको बताना चाहूंगा कि सी० एच० सी० बनाये जाने के लिये वहां की आबादी 30 हजार की होनी चाहिए। अभी जनगणना हुई है। भारत सरकार ने जो जनगणना करायी है उसकी रिपोर्ट आने पर यदि वहां की आबादी 30 हजार की होगी तो उसको सी०एच०सी० में कवर करने के बारे में इनके प्रस्ताव पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री राम वीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पटौदी के अन्दर सी०एच०सी० की बिल्डिंग की बहुत जर्जर हालत है। मैंने वहां पर नई बिल्डिंग बनाये जाने के बारे में पहले भी अनुरोध किया था। मैंने यह भी अनुरोध किया था कि जब तक सी०एच०सी० की नई बिल्डिंग नहीं बना दी जाती तब तक इसको हेली मण्डी में शिफ्ट कर दिया जाये। हेली मण्डी वहां से केवल 3 किलोमीटर के फासले पर है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पटौदी सी०एच०सी० की नई बिल्डिंग बनाये जाने के बारे में सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

डॉ० एम०एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि पटौदी की सी०एच०सी० को हेली मंडी में शिफ्ट करने पर कोई विचार नहीं हो रहा क्योंकि हेली मंडी में पहले ही हस्पताल है। जैसा इन्होंने वहां की बिल्डिंग के बारे में जिक्र किया है उसको सरकार देख लेगी और उसकी रिपेयर आदि की आवश्यकता होगी तो उसको करवा दिया जायेगा और यदि नई बिल्डिंग की आवश्यकता हुई तो उस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री चन्द्र भाटिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि फरीदाबाद में जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है वहां पर एक बी०के० होस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है। उस बिल्डिंग के साथ दो नए ब्लाक बनाये जाने थे, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नए ब्लाक बनाये जाने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है और इन ब्लाक को बनाये जाने में कितना समय लगने की संभावना है ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सदस्य को बताना चाहूंगा कि बी० के० होस्पिटल में जो ब्लाक बनना था उसके लिये बजट में प्रावधान कर दिया गया है। बजट आने पर उस ब्लाक को बनाये जाने का काम शुरू कर दिया जायेगा।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मुरथल में वर्ष 1977 के अन्दर चौधरी देवी लाल जी ने एक 30 बैड का अस्पताल बनाया जाना मंजूर किया था लेकिन उस मंजूर किये गये अस्पताल पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि मुरथल गांव की पंचायत ने वहां पर अस्पताल बनाये जाने के लिये 70 हजार रुपया भी जमा करवाय हुआ था। इस बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध किया था। सी० एम० साहब ने जुआं गांव में तो हस्पताल की मंजूरी दे दी है लेकिन मुरथल के लिये अभी कोई मंजूरी नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार द्वारा मुरथल के अन्दर 30 बैड का हस्पताल बनाये जाने के लिये जल्दी कार्यवाही किये जाने की उम्मीद है ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, चौधरी देवी लाल जी ने पी० एच० सी० बनाये जाने की जो घोषणा की है उस पर अमल जरूर होगा, चाहे इसके लिये हमें अलग से फण्ड की व्यवस्था क्यों न करनी पड़े। जहां तक माननीय साथी का यह कहना कि वहां अस्पताल बनाये जाने के लिये 70 हजार रुपये जमा करवाये हुये हैं, इसको भी देख लिया जायेगा। इतना ही नहीं हमारी सरकार ने तो हमारे से पहले की सरकारों ने भी जो घोषणा कर रखी थी उन पर भी अमल किया है। उसी पर अमल करते हुये जो पहले के पत्थर रखे हुए थे, उन पर कार्यवाही हुई है और सदन की जानकारी के लिये मैं बताना चाहूंगा कि इस सरकार ने 14 महीने के दौरान 17 पी०एच०सी० का उद्घाटन किया है जो कि एक रिकार्ड है। इसके अलावा हम 11 पी०एच०सीज़० नई बनाने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि चौधरी देवी लाल जी की जो घोषणा है उस पर अमल अवश्य किया जायेगा उसके लिये चाहे हमें बजट में स्पेशल एलोकेशन क्यों न करानी पड़े, उनकी घोषणा पर अवश्य अमल किया जायेगा।

श्री रामफल कुण्डू : अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के सफीदों के अन्दर काफी समय से पी० एच० सी० चल रही है, मुख्य मंत्री जी ने उसको 50 बैड का अस्पताल बनाये जाने की घोषणा की थी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सफीदों के अन्दर 50 बैड का अस्पताल बनाये जाने के लिये कब तक कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, सम्मानित साथी ने सफीदों के अस्पताल को 50 बैड का अस्पताल बनाये जाने के बारे में पूछा है। मैं इनकी जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि वहां पर इस वक्त 30 बैड का अस्पताल है। वहां से हमने बैड आकूपैंसी की रिपोर्ट मंगाई थी। उस रिपोर्ट के हिसाब से वहां पर 10 बैड की आकूपैंसी रहती है और 20 बैड खाली रहते हैं। हम वहां पर अस्पताल के बैडों की संख्या तो नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वहां पर कैजुअलटी सर्विस जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं।

श्री बलवंत सिंह मायना : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि सांपला सी० एच० सी० की हालत बहुत ही खस्ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उस की नई बिल्डिंग कब तक बना दी जायेगी और वहां पर डाक्टरों के रहने के बारे में सरकार क्या कर रही है ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित सदस्य ने अभी अभी सांपला की पी०एच०सी० के बारे में जिक्र किया है, हम इसकी पूरी तहकीकात करेंगे और रिपोर्ट ले कर यदि वह बिल्डिंग बनने लायक है तो उस पर जरूर विचार करेंगे।

श्री भगवान सहाय रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय जी को बताना चाहूंगा कि उटावड़, नांगल जाट और औरंगाबाद की पी०एच०सीज० में जो कि सन 1985 से रैगुलर डाक्टर नहीं गए हैं। मंत्री जी जानते हैं कि वहां पर एक-दो डाक्टर्ज को डैपुटेशन पर भेजा गया है। डाक्टर वहां पर रहना नहीं चाहते हैं क्योंकि वह पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में प्रगतिशील सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस कार्य को रिकार्ड समय में पूरा करवाने का प्रयास करेगी विशेष तौर से नांगल जाट और उटावड़ का जो डिस्प्यूट है उसे हल करेगी ? नांगल जाट में सड़क से पिछली ओर दो-तीन किलोमीटर दूर अस्पताल की बिल्डिंग बनाना प्रस्तावित है, क्या मंत्री जी एक टीम भेज कर उसको एग्जामिन करवा

कर उसे ऑन दि रोड बनवाने का कष्ट करेंगे और सरकार इसके लिये भूमि की व्यवस्था करने में गांव की मदद करेगी ?

डॉ० एम० एल० रंगा : अध्यक्ष महोदय, नांगल जाट में जो भूमि पंचायत द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दी गई है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि यह बात सत्य है कि वह गांव से दूसरी तरफ है और सड़क के साथ पंचायत की कोई भी भूमि नहीं है। अगर किसी दूसरे से खरीद कर लेने की बात है और ग्राम पंचायत इस प्रकार का कोई प्रस्ताव हमें भेजेगी तो जरूर उस पर विचार किया जाएगा। जहां तक निर्माण कार्य की बात है, मैंने पहले भी कहा है कि इसी सत्र में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

Receiving of Grant

***681. Shri Moola Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state the detail of the aid/grant, if any, received by the State Government under the Accelerated Rural Water Supply Scheme during the year 1998, 1999, 2000 and 2001 to-date separately ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : महोदय, इस बारे में सूची सदन के पटल पर रखी गई है।

सूची

क्रम सं०	वर्ष	प्राप्त अनुदान राशि (रुपये लाखों में)		
		साधारण	बोनस	कुल
1.	1998-99	1530.27	494.77	2025.04
2.	1999-2000	1708.52	698.72	2407.28
3.	2000-2001	1880.18	0	1880.18
4.	2001-2002	2200.00	बोनस की राशि कार्य प्रणाली पर आधारित है जो कि वित्त वर्ष के अन्त में प्रदान की जाती है।	2200.00

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001-2002 में स्वीकृत की गई 2200.00 लाख रुपये की राशि इस प्रोग्राम के अन्तर्गत पिछले वर्षों में जारी की गई नार्मल राशियों की तुलना में सब से अधिक है।

श्री मूला राम : स्पीकर सर, क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-1999, 2000 तथा 2001 में आज तक पृथक-पृथक वर्षों के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा यदि कोई अनुदान प्राप्त किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री रामपाल माजरा) : स्पीकर सर, वैसे तो यह सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है फिर भी मेरे साथी ने जो प्रश्न पूछा है उसके बारे में मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि उसकी 2200 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई है (विघ्न) वर्ष 1998-99 में 1530.27 लाख रुपये मिले हैं, 1999-2000 में 1708.52 लाख रुपये मिले हैं, वर्ष 2000-2001 में 1880.18 लाख रुपये मिले हैं और वर्ष 2001-2002 में 2200 लाख रुपये की सर्वाधिक राशि मिली है जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है।

चौधरी जय प्रकाश : * * * * *

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर)

कैप्टन अजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, * * * * *

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप अपनी सीट पर बैठें। (विघ्न एवं शोर) जय प्रकाश जी तथा कैप्टन साहब जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न एवं शोर) चौधरी भजन लाल जी, आप अपने सदस्यों को बैठाएं। (विघ्न एवं शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, हमारी पार्टी के बहुत से माननीय सदस्यों ने सवाल दिये हैं लेकिन हमारा इस क्वैशचंज लिस्ट में एक भी सवाल नहीं लगा है। (शोर)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, उनकी बात सही है। हमारे साथी बैठ जाएंगे और हम मर्यादा में रहेंगे। लेकिन आपका तरीका बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सबके प्रश्न लेट आए हैं और वे 13 तारीख के बाद के लिये पढ़ने हैं। जो भी प्रश्न जैसे जैसे आए हैं उन्ही आर्डर्ज से लगे है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न लगाने का तरीका क्या है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जो प्रश्न पहले देगा उसका प्रश्न पहले लगेगा । (शोर एवं व्यवधान) आप चाहें तो मैं आपको रिकार्ड दिखा सकता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : आप हमें रिकार्ड बता दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : राव नरेन्द्र सिंह ने 28, कैप्टन अजय सिंह ने 28, शेर सिंह ने 28, जय प्रकाश शर्मा ने 28, जय प्रकाश बरवाला ने 28 तारीख को प्रश्न दिया है इससे पहले किसी ने कोई प्रश्न नहीं दिया है। (शोर एवं व्यवधान) कर्ण सिंह दलाल ने फैक्स भेजा है और इस पर कहीं पर कोई हस्ताक्षर नहीं किये हैं अब आप ही बताएं कि मैं इसको एडमिट करूं कि क्या करूं। (शोर एवं व्यवधान) हस्ताक्षर वाली जगह बिल्कुल ब्लैंक है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रश्न लगे हैं और हमारे जो प्रश्न हैं इन की आप हमें डेट्स बता दें कि कब कब आए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सबके जो प्रश्न आए हैं वे 28 तारीख को या इसके बाद आए हैं और जो आज प्रश्न लगे हैं ये सब 26-27 तारीख से पहले के हैं। (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप यह बताएं कि आज जो प्रश्न लगे हैं वे किन किन तारीखों को आए थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मैंने अभी बताया है हालांकि यह इन्फर्मेशन आपको मिल जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार महीने पहले प्रश्न दिए थे लेकिन उनमें से कोई प्रश्न भी नहीं लगा है।

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, हाउस की प्रोरोगेशन होने के बाद प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, आप प्रश्नों को लाटरी सिस्टम से सिलैक्ट किया करें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब का कोई भी प्रश्न 28 तारीख से पहले नहीं आया है और आपके वे प्रश्न आज के बिजनैस के बाद एडमिट होंगे । (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप आज हाउस को उठाने वाले हैं और कह रहे हैं कि प्रश्न एडमिट कर रखें हैं। अध्यक्ष महोदय, स्पीकर तो पहले भी थे लेकिन इससे गन्दा सिस्टम हमने आज तक नहीं देखा है।

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठ जाए। लीला कृष्ण जी, आप अपना प्रश्न पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी लीला कृष्ण : अध्यक्ष महोदय मैं एक शेर कहना चाहता हूँ :

"मुझको तो सब कहते हैं कि रख नीचे निगाह अपनी,

इनको कोई नहीं कहता है कि न निकल अयां होकर ।"

अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में गोरखपुर बहुत ही बड़ा गांव है। वहां पर पीने के पानी की बहुत दिक्कत है। वहां पर पाईप एक्स्टैंशन की स्कीम बनी है। उसके लिये 20 लाख का एस्टीमेट मंत्री जी के समक्ष पेश हुआ है। क्या मंत्री जी इसको प्रायरिटी बेस पर पास करके वहां का काम शुरू करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम पाल माजरा : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न वैसे तो त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना से सम्बन्धित स्पैसिफिक प्रश्न था। इस मामले को लेकर मेरे सम्मानित साथियों ने पूछा था कि कितना बजट हरियाणा प्रदेश को मिला। अब इस बात को लेकर लीला कृष्ण जी ने प्रश्न पूछा है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस योजना के तहत जहां पर यह योजना है उसी प्रकार से सूखा ग्रस्त विकास कार्यक्रम है और इनका जिला उसमें आता है। उसमें विशेष योजना शुरू की गई है। हरियाणा प्रदेश की जो स्थिति है वह इस प्रकार है। 6745 गांवों में 3335 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन से भी कम है। इन गांवों में से 1036 गांव हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में से लिये गये हैं। आपने विशेष तौर से जिस गांव का नाम लिया है आप उस बारे में सैपरेटली लिख कर दे दें, उसकी समस्या को दूर कर ही दिया जायेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपनी हर जन सभा में, 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' में यह कहा है कि सारे गांवों को पीने का पानी देंगे और पशुओं को भी पीने का पानी देंगे।

Mr. Speaker : Questions Hour is over.

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज़ पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Yamuna Action Plan

*661 **Diwan Pawan Kumar :** Will the Chief Minister be pleased to state the name of the cities in which the works under Yamuna Action Plan has been undertaken by the Government, along-with details of the works.

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : सरकार द्वारा निम्नलिखित 12 शहरों में यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ किये गये हैं। कार्यों का ब्यौरा संलग्नक-ए पर है।

क्रमांक	शहर
ए—मुख्य शहर (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)	
1.	यमुनानगर
2.	करनाल
3.	पानीपत
4.	सोनीपत
5.	गुड़गांव
6.	फरीदाबाद
बी—अतिरिक्त शहर (बिना बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)	
1.	छछरौली
2.	रादौर
3.	इन्द्री
4.	घरौंडा
5.	गोहाना
6.	पलवल

संलग्नक-ए

ए—मुख्य शहर (बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)

क्र०	शहर	अनुमोदित राशि (रुपये करोड़ों में)	मल उपचार संयन्त्र		मुख्य सीवर	अल्प लागत शौचालय	उन्नत शवदाह गृह	नहाने के घाट	मल उपचार संयन्त्र के उद्घाटन की तिथि
			संख्या	एम.एल.डी.	(कि.मी.)	संख्या	संख्या	संख्या	
1.	यमुनानगर	26.19	1	10	15.97	4	3	2	- (कार्य प्रगति पर है)
			1	25					17-9-2000
2.	करनाल	23.27	1	40	7.43	4	6	-	-(कार्य पूर्ण)
			1	8					28-7-2000
3.	पानीपत	41.53	1	10	17.75	4	3	-	9-8-2000
			1	35					16-4-2000
4.	सोनीपत	23.22	1	30	12.00	5	4	-	11-4-2000
5.	गुड़गांव	21.92	1	30	5.82	6	4	-	4-1-2000
6.	फरीदाबाद	70.38	1	20	22.81	8	4	-	4-1-2000
			1	45					2-10-1998
			1	50					--(कार्य पूर्ण)
	जोड़	206.51	11	303	81.78	31	24	2	

नोट :- 11 मल उपचार संयन्त्रों में से, 10 मल उपचार संयन्त्र सुचारू रूप से पूर्ण करके चालू कर दिये गये हैं जिसको परियोजना निदेशक, नदी संरक्षण परियोजना, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, ने भी अपने पत्र क्रमांक एम-12021/4/96-एन०आर०सी०डी०-ii (भाग-II) दिनांक 5-1-2001 (प्रति संलग्न है) के द्वारा सराहा है।

बी—अतिरिक्त शहर (बिना बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना)

क्र०	शहर	अनुमोदित राशि	सीवर		मल उपचार संयन्त्र		
		(रुपये करोड़ों में)	लगाया जाना था (कि.मी.)	लग चुका है (कि.मी.)	संख्या	एम.एल.डी.	भौतिक प्रगति
1.	छछरौली	1.03	2.98	2.65	1	1.0	डी०पी०आर०10/2000 में स्वीकृत, कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
2.	रादौर	1.81	4.68	4.23	1	1.0	डी०पी०आर०10/2000 में स्वीकृत, भूमि अभिग्रहण की जा रही है।
3.	इन्दरी	1.28	6.06	6.02	1	1.5	डी०पी०आर०10/2000 में स्वीकृत, भूमि अभिग्रहण की जा रही है।
4.	घरौंडा	1.73	4.93	3.60	1	3.0	डी०पी०आर०10/2000 में स्वीकृत कार्य अलाट कर दिया है।
5.	मोहाना	3.36	9.65	9.66	1	3.0	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
					1	0.5	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण
6.	पलवल	10.56	10.68	9.67	1	9.0	भारत सरकार ने डी०पी०आर० अभी स्वीकृत करनी है।
	जोड़	**19.77**	**38.98**	**35.83**	**7**	**19.0**	

Tel : 4362281/Gram-SHUDHAL/ Fax : 4382281&4360009

A.M. GOKHALE

अपर सचिव एवं परियोजना निदेशक,
राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय,
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
(भारत सरकार)

Additional Secretary & Project Director,
National River Conservation Directorate,
Ministry of Environment & Forest,
(Govt. of India)

पर्यावरण भवन/Paryavaran Bhawan
सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़/C.G.O. Complex, Lodi Road,
नई दिल्ली-110003/New Delhi-110003

D.o. No. M-12021/4/96-NRCD-II (Vol. II) Dated : 5-1-2001

Dear Shri Goyal,

As you are aware, this Ministry is implementing Yamuna Action Plan in Haryana, Delhi and U.P. The works in Haryana are being implemented by the Public Health Engineering Department. The share of Haryana in the total cost of Rs. 510 crore of the on-going works of YAP is about Rs. 226 crore. In addition, projects amounting to Rs. 30 crore for Haryana are under consideration for approval under the second phase of YAP.

2. YAP is an externally aided project with assistance coming from the Japan Bank for International Co-operation (JBIC). This is a priority project for both JBIC and Government of India and is to be completed strictly according to a fixed time schedule.

3. The performance of Haryana in the implementation of YAP has been excellent during the past 4 years. This has been recognized not only by this Ministry but by JBIC also. I am sure, the State Government will follow the same trend for the additional works which are now under consideration for the second phase.

4. The project is to be completed by March, 2002. Thus, about 15 months only are left to complete some of the left over works of the first phase and the additional works now being considered for the second phase. For this purpose, it is necessary that the field engineers, particularly at the level of Executive Engineers and Superintending Engineers who are familiar with the project as well as JBIC procedures are not transferred till the project is completed.

With ragards,

Yours sincerely,
Sd/-
(A.M. GOKHALE)

Shri L.M. Goyal, Chief Secretary,
Government of Haryana,
Chandigarh.

Cases of Road Accidents Registered in the State

***657. Dr. Bishan Lal Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the total number of the cases of road accidents occurred/reported in the State during the year 1999-2000 and 2000-2001, togetherwith the number of persons died and injured separately in the said accidents; and

(b) the total number of cases of road accidents registered in the State during the year 1996, 1997,1998, 1999 and 2000 togetherwith the number of persons died and injured separately in the said accidents ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क), (ख) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है।

विवरण

(क) राज्य में वर्ष 1999-2000 तथा 2000-2001 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या तथा उनमें मरने वाले तथा घायल व्यक्तियों की अलग-अलग संख्याओं का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या	मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
1999-2000	8219	2964	8805
2000-2001	8392	2972	8562

(ख) राज्य में वर्ष 1996,1997, 1998, 1999 व 2000 के दौरान हुई सड़क दुर्घटनाओं के कुल दर्ज मुकदमें तथा इन दुर्घटनाओं में मरने वाले तथा घायल होने वाले व्यक्तियों की अलग-अलग संख्याओं का विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं के कुल दर्ज मुकदमें	मरने वाले व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
1996	6934	2663	7149
1997	7189	2689	7742
1998	7983	2789	7893
1999	8248	2900	8417
2000	8206	2941	8695

Construction of Road from Samda to Alewa

***686. Shri Ram Kumar Katwal :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from village Samda to Alewa in Rajound constituency; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू) : हां, श्रीमान जी। गांव सामदा से अलेवा तक की लगभग 5.5 किलोमीटर लम्बी सड़क लगभग 48 लाख रुपये की लागत से "सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम के अन्तर्गत बनाने का प्रस्ताव है। इस सड़क का निर्माण अक्तूबर, 2001 में शुरू किये जाने की सम्भावना है।

Repair of Roads of Baldev Nagar

***663. Smt. Veena Chibber :** Will the Minister of State for Local Government be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the roads in Baldev Nagar of Ambala City are damaged badly; and

(b) if so, the time by which the aforesaid roads are likely to be repaired ?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल) :

(क) जी हां।

(ख) नगर परिषद अम्बाला शहर के पास राशि उपलब्ध होने पर सड़कों की मरम्मत यथाशीघ्र करवा दी जाएगी।

Indira Aawas Yojana

***680 Dr. Ram Kumar Saini :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the details of the amount allocated under Indira Aawas Yojana during the year 2000-2001 togetherwith the amount spent so far therefrom; and

(b) the districtwise number of houses constructed under the scheme referred to in part (a) above during the said period ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) तथा (ख) श्रीमान जी, एक विवरणी सदन की मेज़ पर रखी जाती है।

विवरणी

(क) **वर्ष 2000-2001 के दौरान इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा —**

(रुपये लाखों में)

क्र०	जिले का नाम	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि
1.	अम्बाला	144.40	142.00
2.	भिवानी	87.12	80.91
3.	फरीदाबाद	108.71	108.71
4.	फतेहाबाद	49.48	48.80
5.	गुड़गाँव	83.23	76.10
6.	हिसार	176.63	163.69
7.	झज्जर	117.85	117.80
8.	जीन्द	127.70	127.70
9.	कैथल	66.06	60.60
10.	करनाल	107.06	102.20
11.	कुरुक्षेत्र	83.21	81.70
12.	महेन्द्रगढ़	43.78	42.52
13.	पंचकूला	18.36	18.36
14.	पानीपत	72.06	72.06
15.	रिवाड़ी	62.27	62.20
16.	रोहतक	135.72	116.71
17.	सिरसा	82.32	79.50
18.	सोनीपत	157.40	157.40
19.	यमुनानगर	189.92	186.32
	कुल	1913.28	1845.28

(ख) वर्ष 2000-2001 के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत बनाये गये मकानों की जिलावार संख्या

क्र०	जिले का नाम	बनाये गये मकानों की संख्या
1.	अम्बाला	710
2.	भिवानी	439
3.	फरीदाबाद	543
4.	फतेहाबाद	244
5.	गुड़गाँव	388
6.	हिसार	815
7.	झज्जर	589
8.	जीन्द	638

9.	कैथल	306
10.	करनाल	511
11.	कुरुक्षेत्र	434
12.	महेन्द्रगढ़	210
13.	पंचकूला	74
14.	पानीपत	360
15.	रिवाड़ी	311
16.	रोहतक	572
17.	सिरसा	532
18.	सोनीपत	622
19.	यमुनानगर	807
	कुल	**9126**

Upgradation of Schools of Badhra Constituency

***696. Shri Ranbir Singh** :Will the Minister of State for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to up-grade any school of Badhra Constituency during the year 2000-2001; if so, the names thereof ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौधरी बहादुर सिंह) : जी हां, बाढड़ा चुनाव क्षेत्र में 2000-2001 के दौरान निम्नलिखित 14 विद्यालयों का दर्जा बढ़ाया गया :—

प्राईमरी से मिडल

1. उमरवास
2. डाडमा
3. कलाली

माध्यमिक से उच्च

4. लाड
5. बाढड़ा (क)
6. रामलवास
7. बडराई
8. काकडौली दुक्मी (क)
9. बालरोड
10. रूदडोल
11. धनासरी

उच्च से वरिष्ठ माध्यमिक

12. द्वारका

13. चान्दवास

14. झोझूं कलां (क)

Construction/Repair of Roads

***634 Ch. Nafe Singh Rathi :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state the total Kilometres of roads constructed/repaired by the Haryana State Agricultural Marketing Board separately in the rural areas during the period from 1991 to 2001.

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 1991 से 2001 (1-1-1991 से 31-5-2001) की अवधि में निम्नलिखित किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का निर्माण/मरम्मत की गई :—

1. निर्मित की गई लम्बाई 4793.77 कि०मी०

2. मरम्मत की गई लम्बाई 4926.20 कि०मी०

Chaupals for S.C./B.C.

***628 Shri Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any new Chaupals of Scheduled Castes/Backward Classes have been constructed in the State during the period from 1st July, 1996 to 23rd June, 1999 and 24th June, 1999 to 31st March, 2001; if so, the details of the expenditure incurred thereon ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान जी, 1 जुलाई, 1996 से 23 जून, 1999 तक 452 अनुसूचित जातियों तथा 431 पिछड़े वर्गों के लिये चौपालों का निर्माण क्रमश: 521.18 लाख रुपये तथा 493.15 लाख रुपये की लागत से किया गया। 24 जून, 1999 से 31 मार्च, 2001 तक 579 अनुसूचित जातियों तथा 633 पिछड़े वर्गों के लिये चौपालों का निर्माण क्रमश: 703.13 लाख रुपये तथा 791.30 लाख रुपये की लागत से राज्य में किया गया।

Construction of Water Works at Nidana

***677. Shri Balbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct water works in village Nidana in Meham Constituency; if so, the time by which the aforesaid water works is likely to be completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : जी नहीं, गांव खडक जाटान में अलग जल घर बनाए जाने के पश्चात् निदाणा गांव की जलापूर्ति में स्वत: सुधार हो जाएगा।

Canal Colony, Pundri

***649. Shri Tejvir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the date on which the land for the construction of Canal Colony, Pundri was acquired togetherwith the time by which the construction work of the said colony is likely to be started/completed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : श्रीमान जी, पुण्डरी में नहर कालोनी हेतु अभी तक किसी भूमि का अभिग्रहण नहीं किया गया है।

Grain Market in Guhla and Siwan

***669. Shri Amar Singh Dhanday :** Will the Minister for Agriculture be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Grain Market in Guhla and Siwan ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संधू) : विद्यमान अनाज मंडी चीका (गुहला) के विस्तार का मामला सरकार के विचाराधीन है। सीवन में नई अनाज मंडी के निर्माण का प्रस्ताव, न्यायालय के भूमि अभिग्रहण पर स्थगन आदेशों के कारण रुका हुआ है।

Opening of J.B.T. Centre at Chautala

***679. Dr. Sita Ram :** Will the Minister of State for Education be pleased to State whether there is any proposal under consideration of the Government to open J.B.T. Centre in Village Chautala District Sirsa ?

शिक्षा राज्य मंत्री (चौ0 बहादुर सिंह) : नहीं श्रीमान जी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Construction of a Grain Market/Subzi Mandi at Ambala Cantt.

34. Shri Anil Vij : Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new Anaj Mandi, Subzi Mandi and Chara Mandi at Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

कृषि मंत्री (सरदार जसविन्द्र सिंह संन्धू) :

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) स्थल का चयन किया जा चुका है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा स्थल का कब्जा मार्किट कमेटी, अम्बाला छावनी को देने के पश्चात् मंडी के निर्माण में लगभग 3 वर्ष लगेंगे।

Canal Based Water Supply Scheme for Ambala Cantt.

35. **Shri Anil Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether any Canal Based Water Supply Scheme for drinking water has been approved by the Government for Ambala Cantt; and

(b) if so, the details of the amount earmarked/released for the above said scheme and the time by which the above scheme is likely to be materialized ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) :

(क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) अब तक 15.00 करोड़ रुपये के अनुमान के अन्तर्गत 6.00 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है। मार्च, 2001 में भारत सरकार से आंशिक धन राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से 2.00 करोड़ रुपये की धन राशि इस योजना को दी गई है तथा चालू किया जा रहा है। इस योजना को पूर्ण करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि इसका सम्पूर्ण होना भारत सरकार से 19.70 करोड़ रुपये की बकाया धन राशि की उपलब्धता पर निर्भर करता है जिसे भिवानी शहर, कैथल शहर और अम्बाला कैंट की योजनाओं को वितरित किया जायेगा। इससे पहले भारत सरकार ने "मूलभूत न्यूनतम सेवाओं" के अन्तर्गत इन योजनाओं को धन राशि दी थी जोकि एक बार में ही दी जानी अपेक्षित थी। अब भारत सरकार द्वारा "अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता" के अन्तर्गत सहायता दी जा रही है जो कि शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता स्कीम है।

Construction of Additional Rooms in Government College, Ambala Cantt.

36. **Shri Anil Vij :** Will the Minister of State for Education be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct additional rooms and to introduce new courses based on information technology or any other courses in Government College Ambala Cantt; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized ?

शिक्षा राज्य मन्त्री (चौधरी बहादुर सिंह) :

(क) (i) नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है कि इस राजकीय महाविद्यालय में अतिरिक्त रूप में कोई कमरा बनवाया जाना है।

(ii) हां कम्पयूटर शिक्षा वैकल्पिक विषय के रूप में राज्य के महाविद्यालयों में जिसमें राजकीय महाविद्यालय, अम्बाला छावनी भी शामिल है प्रारम्भ की जा रही है।

(ख) जुलाई, 2001 से।

Judicial Complex at Ambala Cantt.

38. Shri Anil Vij : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Judicial Complex at Ambala Cantt., togetherwith the time by which the Civil Courts are likely to be shifted from Ambala City to the said complex ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अम्बाला छावनी में न्यायिक संव्यूह के निर्माण हेतू प्रस्ताव विचाराधीन है। इस स्थिति में अम्बाला शहर से अम्बाला छावनी में दीवानी अदालतों को स्थानान्तरित करने के समय बारे कोई समय अवधि तय नहीं की जा सकती।

घोषणाएं—

(क) अध्यक्ष द्वारा-

(i) सभापतियों के नामों की सूची

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule13(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Panel of Chairpersons :-

(1) Shri Bhagwan Sahai Rawat
(2) Shri Rajinder Singh Bisla
(3) Capt. Ajay Singh Yadav
(4) Shri Chander Bhatia

(ii) याचिका समिति

Mr. Speaker : Hon'ble Members, under rule 303(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, I nominate the following members to serve on the Committee on Petitions :—

(1) Shri Gopi Chand Gahlot, Deputy Speaker	Ex-officio Chairperson
(2) Shri Bhagwan Sahai Rawat	Member
(3) Smt. Veena Chhibbar	Member
(4) Shri Abhay Singh Chautala	Member
(5) Ch. Zakir Hussain	Member

(ख) सचिव द्वारा-

राज्यपाल द्वारा अनुमति दिये गए बिलों सम्बन्धी

Mr. Speaker : Now, the Secretary will make an announcement.

सचिव : मान्यवर, मैं उन विधेयकों की सूची दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च 2001 में हुये सत्र में पारित किये थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर, सदन की मेज पर रखता हूँ :-

1. हरियाणा पशु मेला (संशोधन) विधेयक, 2001
2. हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2001
3. हरियाणा मुर्रहा भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल (पशु पालन तथा डेरी विकास क्षेत्र का परिरक्षण तथा परिवर्धन) विधेयक, 2001
4. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2001
5. हरियाणा नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2001
6. पंजाब आबकारी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2001
7. हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) संशोधन विधेयक, 2001
8. पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2001

तारांकित प्रश्न न लगने संबंधी मामला

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee. (Interruptions)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर यह है कि आप हमें यह बताएं कि जीरों ऑवर होगा या नहीं होगा ? यह समय जीरो ऑवर का है इसलिये इस समय आप दूसरा बिजनैस नहीं चला सकते। कृपा करके आप अपोजीशन की भी बात सुनिये। अध्यक्ष महोदय, आप सभी के स्पीकर हैं हमारी आपमें आस्था भी है। इसलिये कृपा करके आप अच्छी परम्परा कायम रखें। इसका एक ही तरीका है और वह यह कि जो अपोजीशन के लोग बैठे हैं, उनका ध्यान आप रूलिंग पार्टी से भी ज्यादा रखें। लेकिन आप अपोजीशन का ध्यान रखने के बजाए रूलिंग पार्टी की बात ज्यादा सुनते हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्वैश्चन ऑवर में गेहूं की खरीद के बारे में डिटेल में सब कुछ कह दिया था और जब अपोजीशन का लीडर अपनी बात कहने के लिये खड़ा हुआ तो आपने कहा कि सी०एम०साहब खड़े हैं इसलिये आप बैठें। स्पीकर साहब, हमें भी तो अपनी बात कहने की इजाजत मिलनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप तो उस समय जवाब दे रहे थे जबकि आपको सवाल पूछना चाहिए था। आप सवाल पूछ ही नहीं रहे थे।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आपका यह रवैय्या ठीक नहीं है। *****

श्री अध्यक्ष : अब जो भजन लाल जी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। (विघ्न)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आप हमारी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : आप केवल प्वायंट पर ही बोलें।

चौधरी भजन लाल : आप हमें यह बता दें कि हमारे मैम्बर्ज ने क्वैश्चंज कब-कब और किस-किस तारीख को दिए ?

श्री अध्यक्ष : आप मेरे चैम्बर में आ जाना मैं आपको बता दूंगा। मेरा डिसीजन देखकर आप स्वयं कहेंगे कि यह ठीक था। आप खुद कहेंगे कि आपके मैम्बर्ज ने लेट क्वैश्चंज दिये थे इसलिये वे लेट लगे।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि असैम्बली को आप आज ही उठाना चाहते हैं ?

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : अध्यक्ष महोदय, इसका फैसला बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हो गया था।

चौधरी भजन लाल : बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में मैं भी था उसमें तो कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं क्वैश्चन ऑवर की बात कर रहा हूं जो अपोजीशन के लीडर ने बात उठाई है।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, इन बातों के चक्कर में हमारा जीरो ऑवर का समय चला जाएगा। जीरों ऑवर में बोलना हमारा राइट है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति लेकर खड़ा हुआ हूं और लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसका जवाब दे रहा हूं।

चौधरी जय प्रकाश : जीरो ऑवर का समय हो चुका है इसमें आपने को हमारी बात सुननी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठ जाइए (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी जो प्रश्नों को लगाने के बारे में लीडर ऑफ दि अपोजीशन ने प्रश्न उठाया था उसके बारे में मैं अपील करना चाहता हूं कि और भी मैम्बर्ज ने क्वैश्चंज पूछने हैं तो आप इनकी सुन लें, ताकि हम जवाब दे दें।

चौधरी भजन लाल : इस बारे में अध्यक्ष महोदय से बात हो गई है और लंच टाइम में उनके चैम्बर में मिल लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर का इस बात में क्या रोल है ?

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं क्वैश्चन ऑवर खत्म होने के बाद क्या बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश करना जरूरी है या जीरो ऑवर का इस्तेमाल जरूरी है, यह रूलिंग दें।

श्री अध्यक्ष : आप नहीं बोलेंगे तो क्या मैं अपनी सीट पर चुप बैठा रहूंगा। कैप्टन साहब, आपके कॉलिंग अटैंशन मोशन आए हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : सर, हमने काम रोको प्रस्ताव भी दिया हुआ है। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : उनका फेट भी बता देता हूँ। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, डेट्स के बारे में तो आप इन्हें बताएंगे। आपका राइट है, आपके सैक्रेटेरियट में सवाल आए हैं लेकिन जहां तक प्रौसीजर का सवाल है मैं भजन लाल जी को बताना चाहता हूं कि ये सीनियर मैम्बर हैं मुख्यमंत्री भी रहे हैं तीन किस्म के प्रश्न होते हैं शार्ट नोटिस, स्टार्ड क्वैश्चन और अनस्टार्ड क्वैश्चन। जो स्टार्ड क्वैश्चन लगते हैं उसमें 15 दिन का क्लीयरकट नोटिस चाहिए और जहां तक गवर्नमैंट का सवाल है, 24 मई को कैबिनेट मीटिंग थी। 24 तारीख को यह फैसला हुआ था कि विधान सभा का अधिवेशन 11 जून को बुलाया जाये। 24 मई और 11 जून के बीच में 18 दिनों का समय था इस समय में विपक्ष के सदस्यों को अपने प्रश्न भेजने चाहिये थे 24 के बाद 25, 26,27, 28 और 29 तारीख थी। स्पीकर सर, विदइन टाईम इनको अपने प्रश्न भेजने चाहिये थे अब विपक्ष अपनी ड्यूटी से अलग हट कर रह जाये तो हम क्या करें। विपक्ष अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है और इल्जाम सरकार पर लगाते हैं और स्पीकर पर लगाते हैं। अगर पुराने प्रश्न रह गये हैं तो उनकी रिन्यूवल करवा सकते हैं। (विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक काल अटैंशन नोटिस भेजा हुआ है उसके बारे में भी कुछ बतायें।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठिये, आपके प्रश्न का जवाब भी दे दिया जायेगा।

चौधरी जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, मैंने विदइन टाईम प्रश्न भेजा था परन्तु उसको नहीं लगाया गया और विस मंत्री महोदय इस हाउस को गुमराह क्यों कर रहे हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, कोई भी प्रश्न सत्र के लिये भेजने के लिए 15 दिन का नोटिस चाहिये। विपक्ष के सदस्यों ने 15 दिन पहले प्रश्न भेजने के लिये नोटिस नहीं दिया इसलिये इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई नहीं और यहां हाउस में बात करते हैं कि हमारे प्रश्न नहीं लगाये। स्पीकर सर, दूसरी बात यह है कि अनसाईड प्रश्न भेजते हैं इससे फालतू दुर्भाग्य क्या होगा विपक्ष अपना रोल निभाने में फेल हुआ है। अपनी ड्यूटी निभाने में कोताही कर रहे हैं अपनी ड्यूटी निभाने से बचते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : आप सब एक साथ खड़े हो रहे हैं अब मैं किस को बोलने के लिये कहूं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों को बोलने का समय दिया जाये सभी अपने अलग-अलग विषयों पर बोलेंगे। श्री सम्पत सिंह जी ने एक उपदेश दे दिया कि यह करना चाहिये यह करना चाहिये।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, मैंने तो जो रूल्ज में लिखा हुआ है वह बताया है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, आप बैठिये आपको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जायेगा।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह हमें भी पता है कि 15 दिन पहले प्रश्न भेजने का टाइम होता है। लेकिन सत्र के लिये 15 दिन पहले घोषणा नहीं की गई। यह मानते हैं कि कैबिनेट

की मीटिंग में फैसला ले लिया होगा लेकिन सत्र बुलाने की घोषणा सिर्फ दस दिन पहले की गई और हमें सदन का प्रोग्राम सिर्फ चार दिन पहले भेजा गया है। यह रिकार्ड की बात है। फिर भी माननीय वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि 15 दिन पहले प्रश्न भेजने चाहिये थे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न भेजने के लिये सैशन बुलाने सम्बन्धित 15 दिन का समय कोई जरूरी नहीं है जब पहला सत्र का प्रोरोगेशन हो जाता है (समाप्त होता है) उसके तुरन्त बाद भी आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। अगर आपके पिछले कोई प्रश्न रह गये हैं तो उनकी रिन्यूवल आप करा सकते हैं।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह हम भी जानते हैं कि प्रश्न भेजने के लिये 15 दिन का नोटिस चाहिये।

श्री अध्यक्ष : क्वैश्चन भेजने के लिये सैशन बुलाने के नोटिस की जरूरत नहीं है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि आपने जो कहा है वह हमें दिखा देना, हम मान लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सब बैठें. कर्ण सिंह दलाल जी का मेरे पास फैक्स आया था आप उसे बैठकर सुनें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो आपने मेरे फैक्स का जिक्र किया है यह एक महत्वपूर्ण इशू है। मैं आपके माध्यम से आपसे और सरकार से जानना चाहता हूं कि विधायकों को कम्प्यूटर्ज की ट्रेनिंग दी गई है और मैंने यह फैक्स कम्प्यूटर के माध्यम से भेजा है। विधायक कम्प्यूटर के अन्दर घुसकर दस्तखत तो नहीं कर सकता। मैंने इस फैक्स के बारे में यहां विधान सभा में टेलीफोन भी किया है कि मैंने ऐसा फैक्स भेजा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : फैक्स साइन होकर आता है लेकिन अनसाइनड है। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कम्प्यूटर द्वारा भेजा गया कोई भी दस्तावेज विधान सभा मानेगी या नहीं क्योंकि यह मेरे अकेले का सवाल नहीं है। कल को कोई विधायक फैक्स करेगा तो प्रोब्लम आएगी।

श्री अध्यक्ष : बिना साइन के कोई भी दस्तावेज नहीं माना जाएगा। क्योंकि कल को कोई विधायक कम्प्यूटर से क्वैश्चन भेजें और बाद में कह दें कि मैंने तो भेजे ही नहीं इसलिए बिना साइन के कोई भी दस्तावेज नहीं माने जाएंगे। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कम्प्यूटर के अन्दर कोई भी विधायक कैसे दाखिल होकर साइन कर सकता है। मैंने कम्प्यूटर के माध्यम से फैक्स किया है और टेलीफोन भी किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह फैक्स साइन्ड नहीं था। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने विधायकों को कम्प्यूटर ट्रेनिंग दी है। उसकी अनुपालना करते हुए मैंने घर से कम्प्यूटर से ही फैक्स किया है, इस पर नम्बर भी है और मैंने विधान सभा में टेलीफोन भी किया है कि मैंने कम्प्यूटर से फैक्स किया है। आप इसको मान लें, अगर मैंने टेलीफोन न किया हो तो सैक्रेटरी साहब मना कर दें। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह केवल मेरा सवाल नहीं है। आने वाले दिनों में और भी दिक्कत आएगी। आप जवाब दीजिए कि कम्प्यूटर द्वारा भेजा गया कोई भी दस्तावेज विधान सभा मानेगी या नहीं। कम्प्यूटर द्वारा भेजा गया

[श्री कर्ण सिंह दलाल]

फैक्स साइन नहीं हो सकता। सम्पत सिंह जी आप ही बताइए कि कोई भी विधायक कम्प्यूटर में कैसे दाखिल होकर साइन कर सकता है। आपको इस बारे में कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रबन्ध आपने देखना है कि कम्प्यूटर द्वारा भेजा गया कोई भी दस्तावेज मान्य होगा या नहीं लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। करण सिंह जी कम्प्यूटर से फैक्स भेजने की बात कह रहे हैं। तो कम्प्यूटर से फैक्स नहीं भेजा जा सकता। (शोर) कम्प्यूटर से इंटरनैट पर ई-मेल भेजा जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इसकी कोई व्यवस्था करते हैं तो अलग बात है। जहां तक फैक्स की बात है, तो फैक्स अनसाइन्ड कभी नहीं होता, फैक्स साइन्ड होता है और कम्प्यूटर द्वारा फैक्स नहीं भेजा जा सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने कम्प्यूटर से इंटरनैट पर ई-मेल ही भेजा है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपने इ-मेल की व्यवस्था बना रखी है या कल को आप ई-मेल की सुविधा देना चाहते हैं तो ये आप देख लें। अध्यक्ष महोदय, आप अपने सचिवालय में इसको एग्जामिन करवा लें और एग्जामिन करके अगर आप इस सुविधा को देना चाहते हैं तो अनाउंस कर दें कि आप ई-मेल को असैप्ट कर सकते हैं। जहां तक फैक्स की बात है कि इन्होंने फैक्स भेजा है तो फैक्स साइन्ड होता है न कि अनसाइन्ड। फैक्स का कम्प्यूटर से कोई सम्बन्ध नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी जय प्रकाश :अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपना प्रश्न विदइन टाइम भेज दिया था।

श्री अध्यक्ष : नफे सिंह राठी जी के क्वैश्चनज 24 और 26 तारीख तक आ गए थे, कृष्ण लाल पंवार का भी क्वैश्चन 24 तारीख तक आ गया था, तेजवीर सिंह का भी प्रश्न 26 तारीख तक आ गया था। अमर सिंह ढांढे, सीताराम और मूलाराम जी के प्रश्न 26 तारीख तक आ गए थे। 26-5-2001 तक के प्रश्न आज के बिजनैस के लिए आए हैं। जय प्रकाश जी आपका प्रश्न 29 तारीख से पहले नहीं आया है। (शोर एवं व्यवधान) कैप्टन अजय सिंह ने 28 तारीख को क्वैश्चनज भेजे हैं।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आप सभी सदस्यों को यह बतायें कि यदि आगे से ई-मेल द्वारा प्रश्न भेजे जायेंगे तो वे असैप्ट किये जायेंगे या नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, मैंने टाईमली प्रश्न भेजे थे और वे स्वीकार भी हो गये थे लेकिन फिर भी नहीं लगे।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब जिन्होंने लेट प्रश्न भेजे थे उन्हें भी स्वीकार करके सरकार के पास जवाब के लिए भेज दिए हैं। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर सर, स्वीकार होने के बाद भी मेरे प्रश्न क्यों नहीं लगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नों की संख्या ज्यादा होने के कारण नहीं लगे।

कैप्टन अजय सिंह यादव : यदि प्रश्न ज्यादा आये हैं तो सैशन ज्यादा दिन के लिए कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप बैठें आपको बाद में बता दिया जायेगा कि आपके कितने प्रश्न स्वीकार हुए और कितने नहीं हुए। (शोर एवं व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर सर, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। (शोर एवं व्यवधान)

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट पेश करना

Mr. Speaker : Hon'ble Members, I report the time table of various business fixed by the Business Advisory Committee, as under :—

The Committee met at 10.00 A.M. on Monday, the 11th June, 2001 in the Chamber of the Hon'ble Speaker.

The Committee recommends that unless the Speaker otherwise directs the Assembly, whilst in Session, shall meet on Monday, the 11th June, 2001 at 11.00 A.M. and adjourn after the conclusion of the Business entered in the List of Business for the day without question being put.

On Tuesday, the 12 June, 2001 the Assembly shall meet at 9.30 A.M. and adjourn at 1.30 P.M. without question being put and shall meet again at 2.00 P.M. and adjournment after the conclusion of the Business entered in the List of business for the day.

The Committee after some discussion also recommends that the business on 11th & 12th June, 2001, be transacted by the Sabha as follows :—

Monday, the 11th June, 2001	1. Obituary References. (11.00 A.M.)
Tuesday, The 12th June, 2001 (9.30 A.M.) (1st Sitting)	1. Questions Hour. 2. Presentation and adoption of First Report of the Business Advisory Committee. 3. Papers to be laid/re-laid on the table of the House. 4. Presentation, Discussion & Voting on Excess Demands over grants and appropriations for the years 1995-96 and 1996-97. 5. Legislative business.
Tuesday, The 12th June, 2001 (2.00 P.M.) (2nd Sitting)	1. Motion under Rule 15 regarding Non-stop sitting. 2. Motion under Rule 16 regarding adjournment of the Sabha Sine-die 3. The Haryana Appropriation (No.3) Bill, 2001 in respect of Excess Demands over grants for the years 1995-96 and 1996-97. 4. Any other Business.

Mr. Speaker : Now, the Parliamentary Affairs Minister will move the motion regarding the adoption of First Report of the Business Advisory Committee.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of Business Advisory Committee.

Mr. Speaker : Motion moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of Business Advisory Committee.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह सदन है और सारे प्रदेश की नजर इस हाउस की तरफ लगी हुई है। हमारी तरफ लोग देख रहे हैं। मुख्य मंत्री जी क्या कहते हैं, वित्त मंत्री जी क्या कागज लाकर बोलते हैं। अपोजीशन वाले क्या बोलते हैं। आपने पढ़ दिया है और हमने सुन लिया है। कल बी० ए०सी० की मीटिंग में मैं भी हाजिर था और बी०जे०पी० के एम०एल०ए० कृष्णपाल गुज्जर भी हाजिर थे। आपकी मौजूदगी में हमने इस बात का डट कर विरोध किया कि अगर आप सैशन एक दिन ही करना चाहते हैं तो फिर सैशन की क्या जरूरत थी ? एक दिन का सैशन बुलाना था तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। आप जानते हैं कि कल का दिन तो शोक प्रस्ताव के लिए था और हमें पता था कि उसके बाद सैशन उठ जाएगा। एक दिन के सैशन के लिये झमेला करने की क्या आवश्यकता थी। इसीलिये हमने कहा था कि सैशन तीन दिन चलाइए। अगर तीन दिन का सैशन नहीं बुलाते तो कल वाले दिन को छोड़कर दो दिन का और सैशन हो। मुख्य-मंत्री जी ने बी०ए०सी० की मिटिंग में कहा था कि हम देख लेंगे और हो सकता है कि सैशन बढ़ा दिया जाए। यह बात सुनकर हम आ गये। अब मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप आज ही सैशन खत्म करना चाहते हैं या फिर एक दिन का सैशन और बढ़ायेंगे। आप एक दिन का सैशन बढ़ा दें। अगर आप एक दिन का सैशन बढ़ायेंगे तो सारे मैम्बर्ज सुझाव दे सकेंगे, अच्छी बात कहेंगे। मानें न मानें आपकी मर्जी लेकिन आपको अकल की बात जरूर कहेंगे। जितनी हमारी अकल और बुद्धि है हम उसके मुताबिक अपनी बात कहेंगे चाहे आप उसको मत सुनना। लेकिन सैशन न बढ़ाने का हम डट कर विरोध करते हैं। हाउस दो दिन चलना चाहिए। हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिये मजबूर न करो। (शोर एवं व्यवधान) इन्होंने बार-बार कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव लाओ। (शोर) हम इनकी आत्मा को जगायेंगे। (शोर) इनके एम०एल०एज० यहां बैठे हुए हैं। हम उनकी आत्मा को जगाएंगे। (शोर) ये लोग अपने-अपने एरिया में जाकर क्या कहेंगे। लोग इनको गांवों में घुसने नहीं देंगे (शोर)। ये सोच लें। इनकी क्या मजबूरी है। (विघ्न) आपके मैम्बर्ज डरे हुए हैं, घबराये हुए हैं। (विघ्न) बहुत ही डरे हुए हैं मैम्बर्ज।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप बी०ए०सी० के बारे में बोलिये। (विघ्न) आप टू दी प्वाइंट बात करें।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं कहता हूं कि सैशन एक दिन चल गया है और कृपया करके दो दिन और चला दें। (विघ्न) सैकिण्ड सिटिंग के कोई मायने नहीं हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, हमने सिटिंग और ईटिंग दोनों का प्रबन्ध कर रखा है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दोनों सिटिंग तब होती है जब कोई मजबूरी हो जाए। (विघ्न) जैसे कि सैशन चलते 15 दिन हो जाएं, सैशन की ओर आवश्यकता न हो और आगे तीन-चार छुटिटयां पड़ रही हों तब तो सैकिण्ड सिटिंग करके सैशन खत्म करने की बात हो सकती है। आज सैशन बुलाया और आज ही खत्म कर देंगे तो लोग क्या कहेंगे। देश के अखबार क्या कहेंगे। प्रैस के लोग क्या कहेंगे, ऊपर से प्रैस वाले लोग आपको देख रहे हैं। ये लोग आपकी शक्ल को देख रहे हैं, हमारी शक्ल को भी देख रहे हैं और स्पीकर साहब, आपकी शक्ल को भी देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : भजन लाल जी, आप तो दो दिन का भी सैशन नहीं चाहते थे, अब आपको सैशन के लिये दो दिन भी मिले हैं और तीन सिटिंग भी मिली हैं। (विघ्न) इसलिये आप जो बोलना चाहते हैं, बोलिए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हम सिटिंग का क्या करेंगे ? सिटिंग का सवाल नहीं है। (शोर) इन्होंने किस लिये सैशन बुलवाया, क्या मजबूरी है और क्या खतरा था। (शोर) जब खतरा होगा तो ये मुख्य मंत्री जी टोहें नहीं पाएंगे। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, बस, अब आप बैठिए। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अब इनको खतरा होने वाला है। इसलिये इनको कहें कि ठीक चलें अन्यथा भुगतना पड़ेगा।

Mr. Speaker : Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the First Report of Business Advisory Committee.

The motion was carried.

सदन की मेज पर रखे गए/पुन: रखे गए कागज-पत्र

Mr. Speaker : Now, a Minister will lay/re-lay the papers on the Table of the House.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to lay on the Table—

The Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Ordinance, 2001 (Haryana Ordinance No. 1 of 2001).

Sir, I beg to re-lay on the Table—

The Power Department Notification No. S.O. 156/H.A. 10/98/Ss 23, 24, 25 and 55/99, dated the 1st July, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 186/H.A. 10/98/Ss 23, 24, and 25/99, dated the 13th August, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 213/H.A. 10/98/Ss 23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th October, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 235/H.A. 10/98/Ss 23, 24, 25 and 55/99, dated the 15th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Power Department Notification No. S.O. 244/H.A. 10/98/Ss 23, 24, 25 and 55/99, dated the 30th November, 1999, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 11/Const./Art. 320/Amd. (1)/2000, dated the 27th March, 2000, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulation, 2000, as required under Article 320(5) of Constitution of India.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 18/H.A.20/73/S. 64/2000, dated the 3rd April, 2000 regarding

[Finance Minister]

the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 21/H.A.20/73/S. 64/2000, dated the 20th April, 2000 regarding the Haryana General Sales Tax (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Sevices) Notification No. G.S.R. 25/Const./Art. 320/Amd. (1)/2000, dated the 23rd May, 2000, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) First Amendment Regulation, 2000, as required under Article 320(5) of Constitution of India.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 29/Const./Art. 320/Amd. (2)/2000, dated the 29th June, 2000, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Second Amendment Regulation, 2000, as required under Article 320(5) of Constitution of India.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 41/Haryana Ordinance 10/2000/S. 26/2000, dated the 27th July, 2000, regarding the Haryana Local Area Development Tax Rules, 2000, as required under Section 27 of the Haryana Local Area Development Tax Ordinanace, 2000.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 44/H.A.20/73/S. 64/2000, dated the 28th July, 2000, regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 2000.

The Probibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 45/H.A.20/73/S. 64/2000, dated the 28th July, 2000, regarding the Haryana General Sales Tax (Fourth Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Power Department Notification No. S.O. 73/H.A. 10/98/Ss 23, 24, 25 and 55/2000, dated the 14th June, 2000, as required under Section 55(3) of the Haryana Electricity Reform Act, 1997.

The Prohibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 78/H.A.20/73/S. 64/2000, dated the 14th December, 2000, regarding the Haryana General Sales Tax (Fifth Amendment) Rules, 2000, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The General Administration Department (General Services) Notification No. G.S.R. 4/Const./Art. 320/Amd./2001, dated the 16th February, 2001, regarding the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2001, as required under Article 320(5) of the Constitution of India.

Sir, I beg to lay on the Table—

The Probibition, Excise and Taxation Department Notification No. G.S.R. 13/H.A.20/73/S. 64/2001, dated the 22nd May, 2001, regarding the Haryana General Sales Tax (Third Amendment) Rules, 2001, as required under Section 64(3) of the Haryana General Sales Tax Act, 1973.

The Administration of Justice Department Notification No. 20/17/2000-4JJ(I), dated the 19th October, 2000, regarding the Haryana State Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2000, as required under Section 30(2) of the Legal Services Authorities Act, 1987.

The 33rd Annual Report and Accounts of Haryana Agro-Industries Corporation Limited for the year 1999-2000 as required under Section 619-A(3) (b) of the Companies Act, 1956.

The Grant Utilisation Certificate and Audit Report for the year 1998-99 of the Chaudhary Charan Singh Haryana Agricultural University, Hisar as required under Section 34(5) of the Haryana and Punjab Agricultural Universities Act, 1970.

वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगें प्रस्तुत करना/चर्चा तथा मतदान

Mr. Speaker : Now, the Finance Minister will present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the years 1995-96 and 1996-97.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriations for the years 1995-96 and 1996-97.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now the discussion and voting on the Excess Demands over Grants and Appropriation for the years 1995-96 and 1996-97 will take place. As per past practice and in order to save the time of the House all the demands on the order paper will be deemed to have been read and moved together. The Hon'ble Members can discuss any demand but they are requested to indicate the demand number on which they wish to raise the discussion.

(i) Demands for the year 1995-96

That a grant of a sum not exceeding Rs.9,79,92,268/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 24,42,83,405/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 91,82,674/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Excise and Taxation.

[Mr. Speaker]

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,72,78,547/-be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,56,76,387/-be made to regularise the charges already incurred in excess of the Grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,81,35,921/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 26,63,000/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Social Welfare and Rehabilitation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 19,90,592/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in Respect of Irrigation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,22,35,060/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 5,18,25,252/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Transport.

(ii) Demands for the year 1996-97

That a grant of a sum not exceeding Rs. 8,80,60,142/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 26,61,49,600/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Finance.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6,70,76,120/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 32,25,32,416/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Education.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,00,59,043/-be made to regularise the charges already incurred in excess of the Grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Animal Husbandry.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,17,25,591/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Transport.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I shall put various demands for the year 1995-96 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is —

That a grant of a sum not exceeding Rs. 9,79,92,268/-be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Home.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 24,43,83,405/-be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Revenue.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 91,82,674/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Excise and Taxation.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,72,78,547/-be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,56,76,387/-be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 10,81,35,921/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 26,63,000/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Social Welfare and Rehabilitation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 19,90,592/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Irrigation.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 2,22,35,060/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted

[Mr. Speaker]

by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 5,18,25,252/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1995-96 in respect of Transport.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now I shall put the various demands for the year 1996-97 to the vote of the House.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 8,80,60,142/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Home.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 26,61,49,600/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Finance.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 6,70,76,120/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Buildings and Roads.

That a grant of a sum not exceeding Rs. 32,25,32,416/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Education.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 4,00,59,043/-be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Animal Husbandry.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Question is—

That a grant of a sum not exceeding Rs. 1,17,25,591/- be made to regularise the charges already incurred in excess of the grant voted by the Legislative Assembly for the year 1996-97 in respect of Transport.

The motion was carried.

स्थगन प्रस्तावों/ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचना

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब, हमने जो दो एडजर्नमैंट मोशन दिए थे 11-00 बजे उनका क्या किया ?

श्री अध्यक्ष : ये दोनों एडजर्नमैंट मोशन डिस-अलाउ कर दिए गए हैं।

चौधरी भजन लाल : आपने कौन से दो मोशन डिस-अलाउ किये हैं। (शोर एवं विघ्न)

Mr Speaker : Your two notices of adjournment motions regarding alarming situation arising out of directionless and faulty education policy of the State and regarding alarming situation arising out of the Haryana Municipal Amendment Bill, 2001 were received in this office. The same have been disallowed.

चौधरी भजन लाल : आप मैम्बर्ज की बात तो सुनें आपने दोनों एडजर्नमैंट मोशन डिस-अलाउ कर दिए है, यह ठीक बात नहीं है। स्पीकर साहब, हम इस बात को नहीं मानेंगे। (शोर एवं विघ्न)

कैप्टन अजय सिंह यादव : स्पीकर साहब हमने दो काम रोको प्रस्ताव आपको दिए थे आपने वे दोनों ही डिस-अलाउ कर दिए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने वे डिस-अलाउ क्यों किए जबकि बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर हम इस सदन में चर्चा करना चाहते हैं। (शोर एवं विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये तो आपकी रूलिंग को ही चैलेंज कर रहे हैं जबकि नियम यह है कि एक बार आपकी तरफ से रूलिंग आने के बाद उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कैप्टन साहब, आप डिमांड पर बोलना चाहते थे तो आप बोल सकते थे लेकिन आप नहीं बोले।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय ये तो 5-7 साल पुरानी डिमांडज थी इसलिए इन पर बोलने वाली कोई विशेष बात नहीं थी। (शोर एवं विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने अपनी रूलिंग दी कि हमारे दोनों एडजर्नमैंट मोशन डिस-अलाउ कर दिए हैं। आप हमें यह बताएं कि आपने किन कारणों से उनको डिस-अलाउ किया है। (शोर एवं विघ्न)

वाक-आउट्स

चौधरी जयप्रकाश : स्पीकर साहब, आप मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जय प्रकाश जी, आप अपनी सीट पर बैठिये, आप ऐसे बोल कर सस्ती लोकप्रियता हासिल न करें।

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, आपने हमारे दो एडजर्नमैंट मोशन डिस-अलाउ कर दिए यह हमारे साथ ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष : जयप्रकाश जी कृपया आप अपनी सीट पर बैठ जाएं .....(शोर).....

चौधरी जय प्रकाश : स्पीकर साहब, यदि आप मुझे बोलने का मौका नहीं देते तो मैं एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करता हूं।

(इस समय नैशनल कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री जय प्रकाश सदन से वाक-आउट कर गए।)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, आपने जो हमारे दोनों एडजर्नमैंट मोशन डिस-अलाउ किए हैं वह ज्यादती है। लोग यहां पर चुन कर आए हैं। प्रदेश में जो ज्यादतियां हो रही हैं उन पर मैम्बर साहेबान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। आपने हमारे मोशन डिस-अलाउ करके ठीक काम नहीं किया। यदि आप हमें बोलने का मौका नहीं देंगे तो मजबूरन हमें वाक-आउट करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब आपको जीरो आवर में भी बोलने का समय दिया गया था। चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न एवं शोर)

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरी दो कॉलिंग अटैंशन मोशन्ज थीं, उनका क्या हुआ। (शोर एंव विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : उनमें से एक जो मिनिमम स्पोर्ट प्राईस के बारे में कॉलिंग अटैंशन मोशन थी वह सरकार को कमैंटस के लिए भेजी हुई है और जो दूसरी थी, वह डिस-अलाउ कर दी गई हैं। (विघ्न एंव शोर) कैप्टन साहब, अब आप बैठें। विघ्न)

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा काम रोको प्रस्ताव था। (विघ्न एवं शोर) ***

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें (विघ्न एंव शोर) विधायी कार्य शुरू हो चुका है। आप अपने विधायकों को बिठाएं (विघ्न एवं शोर) चौधरी भजन लाल जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमें अपनी बात कहने का मौका नहीं दे रहे हैं। अगर हमें अपनी बात कहने का समय नहीं मिल रहा तो फिर हमारे यहां बैठने का क्या फायदा है इसलिए हम एज ए प्रोटैस्ट सदन से वाक-आउट करते हैं।

(इस समय इण्डियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक-आउट कर गए।)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

विधान कार्य

1. दि हरियाणा म्यूनिसिपल कारपोरेशन अमैंडमैंट बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2001.

Sir I also beg to move —

> That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker: Motion moved—

> That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

चौधरी जगजीत सिंह : * * * * *

श्री कर्ण सिंह दलाल : * * * * *

श्री अध्यक्ष : आप दोनों पहले यह डिसाईड कर लें कि कौन बोलेगा। (शोर एंव व्यवधान) ये दोनों जो भी बोल रहे हैं वह रिकार्ड नहीं किया जाए। आप दोनो बैठ जाएं। दो मैम्बर एक साथ नहीं बोल सकते हैं । (शोर एंव व्यवधान) राम किशन जी अभी आप बैठ जाएं अभी कर्ण सिंह जी बोलेंगे।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, आपके सामने विपक्ष के नेता चौधरी भजन लाल जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण बातें रखी और जनता की जो तकलीफें है उन पर बोलने की बात की ।

श्री अध्यक्ष : आप बिल पर बोलें । भाषण न दें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे यहां पर जनता ने चुन कर भेजा है और उनकी बातें यहां पर बोलने के लिए भेजा है। * * * * *

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब ने जो अनपार्लियामैंटरी शब्द कहे हैं वे रिकार्ड न किए जाएं। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय,आप यह बताएं कि आने वाले समय में कम्प्यूटर का युग आने वाला है और आने वाले समय में कोई मैम्बर ई-मेल से या फैक्स से प्रश्न भेजता है तो क्या उसको मान्यता प्राप्त होगी या नहीं, आप इस बारे में रूलिंग दें । (शोर एंव व्यवधान) बलबीर सिंह जी आप बैठ जाएं यह पढे-लिखों की बात है । (शोर एवं व्यवधान)

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : दलाल साहब, मैं आपकी बात को और सरल तरीके से बता देता हूं ।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

श्री कर्ण सिंह दलाल : तरीके तो मुझे भी पता है लेकिन मैंने जो बात पूछी है, उस बारे में मैं स्पीकर साहब की रूलिंग चाहता हूं ।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई आदमी कम्प्यूटर से कोई भी दस्तावेज भेजता है तो वह तब तक वैलिड नहीं होता है जब तक वह आदमी खुद आकर उस पर अपने साईन नहीं करता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके स्टाफ को टेलीफोन किया था और उसके बाद आकर मैंने उसको अटैस्ट किया था आप इस बारे में अपने स्टाफ से पूछ सकते हैं । अध्यक्ष महोदय, आप यह बताएं कि भविष्य में कोई मैम्बर फैक्स से या ई-मेल से कोई दस्तावेज भेजता है तो वह वैलिड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : जिस दस्तावेज पर दस्तख्त होंगे वह वैलिड माना जाएगा जिस पर दस्तख्त नहीं होंगे वह वैलिड नहीं माना जाएगा । (शोर एंव व्यवधान) बलबीर जी, आप बैठ जाएं । दरियाव सिंह जी, आप भी बैठ जाएं । (शोर एवं व्यवधान) आप सब बैठ जाएं । जो भी बिना इजाजत के बोल रहा है उसकी बात को रिकार्ड नहीं किया जाए।

चौधरी जय प्रकाश : * * * * *

श्री अध्यक्ष : राम किशन जी, आप क्या कहना चाहते थे । (शोर एंव व्यवधान) मांगे राम गुप्ता जी, आप बैठ जाएं, ये आपसे पहले बोलने के लिए खड़े हुए थे ।

श्री राम किशन फौजी : अध्यक्ष महोदय, आज पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है और हमने यह सोचा था कि कांग्रेस पार्टी यहां पर विपक्ष की भूमिका निभाएगी लेकिन यह बहुत ही दु:ख की बात है कि वे सदन से वाक-आउट करके चले गए । हमने यह सोचा था कि ये लोग हरियाणा के गरीब लोगों के बारे में यहां पर प्रश्न पूछेंगे लेकिन यहां पर किसी ने उनके बारे में एक भी प्रश्न नहीं पूछा । कांग्रेस पार्टी तो वाक-आउट करके चली गई और यहां पर विपक्ष की भूमिका तो हमें निभानी है।

स्पीकर साहब, एक तरफ तो हरियाणा प्रदेश में गेहूं मंडियों में या खेतों में सड़ रहा है और दूसरी तरफ गरीब समाज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है।

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी, आप केवल बिल पर ही बोलें। अगर आप बिल पर नहीं बोलेंगे तो आपकी बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, किसी समय तो आप हमें बोलने का टाईम दिया करें। अगर आप किसी को बोलने ही नहीं देंगे तो फिर आपने यह हाउस किसलिए बुलाया था ? स्पीकर साहब, शिडयूल्ड कास्ट्स कैटेगरी के यहां पर 17 विधायक हैं लेकिन किसी ने भी अपने समाज के लिए एक बात नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष : रामकिशन जी, आप बैठें। ये बिल पर नहीं बोल रहे हैं इसलिए अब इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाए। (विघ्न) रामकिशन जी, अब आप बैठें।

श्री राम किशन फौजी : स्पीकर साहब, * * * * * * (शोर एवं व्यवधान)

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

डा० रघुबीर सिंह कादयान : स्पीकर साहब, हमारी तरफ से सरकार के खिलाफ नो-कांफिडैंस मोशन दिया है। कृपया आप बताएं कि उसका क्या रहा ?

श्री अध्यक्ष : आपका यह मोशन अभी 11.10 बजे मेरे पास आया है। आपका यह मोशन अंडर कंसीडरेशन है। इस पर मेरे दस्तखत हो चुके हैं और मैंने यह मोशन सरकार के पास कमैंट्स के लिए अभी भेजा है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब भी किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आता है तो उसके बाद कोई और बिजनैस नहीं हो सकता। हमने भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है इसलिए पहले सरकार को विश्वास का मत हासिल करना चाहिए और बाद में और काम करना चाहिए। यही नियम भी है और प्रथा भी है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर साहब, इसके लिए तो आप टाईम निर्धारित करेंगे और आप ही यह डिसाईड करेंगे कि यह मोशन एडमिट होगा या नहीं होगा। यह तो बाद की बात है अभी जो बिजनैस ट्रांज़ैक्ट हो रहा है वह केवल स्पीकर साहब की मर्जी से ही रुक सकता है। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि अभी बिजनैस को रोका ही जाए। यह तो स्पीकर साहब की मर्जी है कि वह कब उस मोशन को टेकअप करें।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, पहले हमारे अविश्वास प्रस्ताव को टेकअप करें।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजन लाल जी को शायद याद नहीं रहा है लेकिन मैं इनको बता देता हूं। पिछली दफा भी ये सरकार के खिलाफ नो कांफीडैंस मोशन लाए थे । उस समय भी हमने कहा था कि इस पर फौरन चर्चा की जाए लेकिन ये उसको मूव करके डिस्कशन से पहले ही भाग गए थे। आज ये कह रहे हैं कि चर्चा पहले करो उस दिन कह रहे थे कि चर्चा बाद में करो। हमने यही कहा था कि पहले नो कांफीडैंस मौशन पर चर्चा हो बाद में किसी और बात पर चर्चा हो। आज ये दूसरी बात कह रहे हैं कम से कम अपने आप में तो क्लीयर हो जाया करें। आपके नो कांफीडैंस मोशन का हम स्वागत करते हैं और अध्यक्ष महोदय को कहेंगे कि इसको एडमिट कर लें, यह अध्यक्ष महोदय की मर्जी है कि इसको कब एडमिट करें और कब का समय दें।

चौधरी भजन लाल : सरकार के खिलाफ नो कांफीडैंस मोशन आ चुका है इस पर पहले चर्चा शुरू होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब आप सुनिए कि रूल्स ऑफ प्रौसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस इन दि हरियाणा लैजिस्लेटिव असैम्बली के रूल-65 (1) में इस बारे में दिया हुआ है—

(a) leave to make the motion must be asked for after questions and before the business on the list for the day is entered upon;

(b) the Member asking for leave just before the commencement of the sitting of the day leave with the Secretary a written notice of the motion which he proposes to make.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, जब मैं मुख्य मंत्री था उस समय मैंने कम से कम 18 अविश्वास प्रस्ताव झेल रखे हैं और जब भी अविश्वास प्रस्ताव आता था तो सबसे पहले खड़ा होकर मैं कहता था कि पहले हम हाउस का मत हासिल करेंगे, बाद में हम सरकारी काम करेंगे। इसलिए पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। (विघ्न) पहले इसका फैसला करिए, बाद में सरकारी कार्य करिए। यही कायदा है। यही प्रथा है । आप चाहें तो पिछला रिकार्ड निकलवाकर देख लें।

श्री अध्यक्ष : यह मोशन अन्डर कंसीडरेशन है। यह प्रथा नहीं है।

चौधरी भजन लाल : रिकार्ड में है, सैक्रेटरी आपके नीचे बैठे हैं इनसे आप रिकार्ड दिखवा लें।

Mr Speaker : The matter is under consideration. जो बिजनैस चल रहा है। उसको चलने दें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला : हमने तो पहले भी कहा था जब आप कहा करते थे कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है हमें पता तो लगे कि किसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है । अध्यक्ष महोदय, पहले बिज़नैस खत्म किया जाए उसके बाद वोट ऑफ नो-कांफीडैंस पर चर्चा का समय दिया जाए ।

चौधरी भजन लाल : पहले बिज़नैस शुरू नहीं हो सकता । अगर बिजनैस शुरू होता है तो यह मैंबर्ज के साथ ज्यादती है । मान लिया सरकारी काम आप पास करवा लें और बाद में सरकार गिर जाए तो इसको कौन मानेगा

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाएं। अकोरडिंग टू रूल सदन चल रहा है।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

श्री अध्यक्ष : आप बिल पर बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पिछली विधान सभा के सैशन में भी अपोजीशन की तरफ से नो कांफीडैंस मोशन आया था और एडमिट किया तो अपोजीशन वाक-आउट करके चली गई। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है। ऐसा हुआ था जैसे आप आज जिद कर रहे है वैसे ही उस दिन कर रहे थे आपने नो-कांफीडैंस तो एडमिट कर लिया लेकिन मुख्यमंत्री जी की एडवाइस पर यह फैसला लिया कि पहले बिज़नैस हाउस का पूरा कर लें बाद में नो-कांफीडैंस पर बहस होगी। (शोर एवं विघ्न) Speaker, Sir, on a point of order, I want to speak. हमें आज भी इस बात पर वाक-आउट करना पड़ेगा। आज भी आप यह कह रहे हैं कि पहले बिज़नैस पूरा कर लेने दो फिर नो-कांफीडैंस पर बहस कर लेना।

श्री अध्यक्ष : आप मोशन लेट क्यों देते हैं। अंडर प्रोवोकेशन तो आप कोई काम करते हैं, अपने मन से काम नहीं करते हैं।

Shri Mange Ram Gupta : Speaker: Sir, this is our right, you cannot say this is a wrong way.जब हालात देखते हैं तभी नो कांफीडैंस मोशन का नोटिस आता है लेट का या पहले का सवाल नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि पहले हाउस को एडजर्न किया जाये। उसके

बाद सरकार यह फैसला करे कि हमने जो नो कांफीडैंस मोशन का नोटिस दिया हुआ है वह एडमिट होगा या नही। उसके बाद हाउस का बिजनैस चलना चाहिये अगर बिजनैस पास ही कर दिया तो फिर नो कांफीडैंस मोशन का नोटिस देने का क्या महत्व रह जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : गुप्ता जी, अभी दूसरी सीटिंग भी होनी है तब देखेंगें अब आप बैठ जाइये।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जब सरकार के खिलाफ लैक ऑफ कांफीडैंस है तो फिर आप बिजनैस क्यों चला रहे हैं ? आपको अविश्वास प्रस्ताव पर बहस करानी चाहिये। हमने इस बारे में नोटिस आपको समय पर दिया है।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह) : स्पीकर सर, हर मोशन के लिए रूल्ज बने हुये हैं इसके लिए आपने ने सभी सदस्यों को यह रूल पढ़ कर सुनाये हैं। विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस या तो यह सदन बैठने से पहले या फिर बिजनैस शुरू होने से पहले देना चाहिये था। उससे पहले अगर वे अपना नोटिस दे देते तो ठीक था। लेकिन इन्होंने तो यह नोटिस उसके बाद दिया है। स्पीकर सर, रूल्ज में यह क्लीयर दिया हुआ है। ये रूल्ज हमारी विधान सभा की रूल्ज कमेटी द्वारा तैयार किये गये हैं कमेटी के फैसले का सभी माननीय सदस्य आदर करते हैं और आदर करना भी चाहिये। रूल 65(1)(a) में यह स्पष्ट लिखा हुआ है :—

> "Leave to make the motion must be asked for after questions and before the business on the list for the day is entered upon."

इसमें साफ लिखा हुआ है। प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरन्त बाद या अगला बिजनैस शुरू होने से पहले। स्पीकर सर, बिजनैस लिया गया उसके बाद सप्लीमैंटरी डिमाण्ड्ज पास हो चुकी हैं और उससे पहले बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पास हो चुकी है। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद और बिजनैस अंडरटेक करने से पहले अगर इसके बीच में ये अपना अविश्वास का मोशन देते तो ठीक था इसलिए यह वैसे भी इनआर्डर है उसके बावजूद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह कहा है कि हम इस अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को असैप्ट कर लेंगे परन्तु पहले जो बिजनैस अंडर कंसीड्रेशन है उसको टेक अप कर लिया जाए इसलिए पहले बिजनैस की ट्रांज़ैक्शन हो जाये उसके बाद अविश्वास का प्रस्ताव बाकायदा मूव करेंगे । इसका भी एक प्रोसीजर है प्रोसीजर के अनुसार काम करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराने की बात तो बाद की बात है इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो बिजनैस अंडर कंसीड्रेशन है उसको पहले ट्रांज़ैक्ट किया जाये। यह एज़ पर रूल है।

चौधरी भजन लाल : * * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : जो भजन लाल जी कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये। मैं पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर जी से कहना चाहूंगा कि वे कोई भी रूल अंग्रेजी में पढ़ने की बजाये हिन्दी में पढ़ा करें ताकि चौधरी भजन लाल जी की समझ में आ जाये। अब इनकी समझ में अंग्रेजी में कुछ आता नहीं इसलिए ये बीच में बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, अगर ऐसी बात है तो मैं आगे से हिन्दी में एक्सप्लेन कर दिया करूंगा।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

चौधरी भजन लाल : * * * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी जो बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजन लाल जी, आपने जो बोलना है वह सही ढंग से बोलिये। एक दूसरे पर इस तरह की बात मत कहिये।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार के खिलाफ जब अविश्वास का प्रस्ताव आ जाता है तो कायदे के मुताबिक उसके बाद कोई भी बिजनैस नहीं हो सकता और उस अविश्वास प्रस्ताव पर डिसकशन होनी चाहिये। परन्तु अगर सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो क्या किया जा सकता है ? हमने अविश्वास प्रस्ताव की मोशन को बिजनैस शुरू होने से पहले दे दिया था यह रिकार्ड की बात है।

श्री अध्यक्ष : मैं सभी माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि उस समय की सरकार के खिलाफ 12-8-69 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया परन्तु उस प्रस्ताव पर बहस 13-8-69 को की गई। इसी तरह 27-2-1970 को उस समय की सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव आया और उस पर 3-3-1970 बहस के लिए तय की गई। यह रिकार्ड की बात है।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे यही कहना है कि जो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है पहले उस पर बहस होनी चाहिये । बाद में सरकारी कार्य करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : चौधरी भजनलाल जी, आपको काफी तजुर्बा है अब आप बैठने का तजुर्बा भी करें। आप बैठ जाईये।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भजनलाल जी ने शायद पढ़ा नहीं है । आज एक मनी बिल भी सरकार यहां पर ला रही है अगर विपक्ष चाहे तो उस पर भी वोटिंग करा सकती है ।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर सर, जब सप्लीमैंटरी डिमाण्डज पास हो रही थी तब माननीय विपक्ष के साथी हाउस से चले गये थे इसलिए इनको शायद यह पता नहीं है कि आज एक मनी बिल भी इस सदन में लाया जायेगा अगर विपक्ष चाहे तो उस बिल पर वोटिंग करा सकती है।

चौधरी भजन लाल : सप्लीमैंटरी डिमांड्ज तो 95-96 की है यानी हमारे वक्त की हैं और 96-97 की बंसीलाल जी के वक्त की हैं । ये डिमाण्ड्ज तो कायदे के हिसाब से पास होनी चाहिए थीं ।

प्रो० सम्पत सिंह : भजन लाल जी, आप एग्री न करते, आप वोट करवा लेते।

चौधरी भजन लाल : इन पर वोट नही हो सकती ।

प्रो० सम्पत सिंह : वोट हो सकती है ।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि पहले अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होनी चाहिए।

विधान कार्य (पुनरारम्भ)

Mr.Speaker : Question is —

That the Haryana Municipal Corporation (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr.Speaker : Question is-

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

2. दि गूड कंडक्ट प्रिज़नर्ज प्रोबेशनल रिलीज (रिपील) बिल, 2001

Mr. Speaker : Now, a Minister will introduce the Good Conduct Prisoners' Probational Release (Repeal) Bill 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh): Sir, I beg to introduce the Good Conduct Prisoners' Probational Release (Repeal) Bill, 2001.

Sir. I also beg to move—

> That the Good Conduct Prisoners' Probational Release (Repeal) Bill be taken into consideraton at once.

Mr.Speaker : Motion moved —

> That the Good Conduct Prisoners' Probational Release (Repeal) Bill be taken into consideration at once.

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, ये जो अभी सम्पत सिंह जी बिल लाए हैं मैं उस पर बोलना चाहता हूँ । हरियाणा के अन्दर आम लोगों में यह धारणा बनी हुई है कि यह सरकार हरियाणा के अन्दर जितने भी अपराधिक प्रवृति के लोग हैं। (विघ्न)

वित मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, इसका बिल से कोई सम्बध नहीं है, इनको कहें कि ये पहले पढ़ लें। इसमें कोई प्री मैच्योर रिलीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी आप सब्जैक्ट पर ही बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मै सब्जैक्ट पर ही बोलना चाहता हूं। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। आप पहले सुन तो लें अगर आपको अच्छी न लगे तो मै नहीं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज सरकार लोगों की नजर में भला बनने के लिए जो बिल लाई है, मैं उसकी बैक ग्राउंड बताना चाहता हूं कि इसकी वजह क्या है! इसकी बैक ग्राउंड मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि लोगों को पता लग सके! * * * * * * *

श्री अध्यक्ष : कर्ण सिंह जी जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए। कर्ण सिंह जी आप सब्जैक्ट पर ही बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, कोई सदस्य बोलता है तो आप उसकी बात को रिकार्ड न करने के लिए कह देते हैं। यह ठीक नहीं है। हम हरियाणा की जनता की तकलीफों को यहां कहने के लिए आए हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मौजूदा सरकार ने इस बिल में रिपील करके बहुत ही अच्छा कार्य किया है। इससे दिहाड़ीदारों को गुलामी से निजात मिलेगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके अतिरिक्त और भी बाईलाज हैं जो अंग्रेजों के समय के बनें हुए हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है इसलिए इस सदन की एक कमेटी बनाई जाये जो यह देखे कि किन-किन बाईलाज में रिपील की आवश्यता है।

---

* चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

प्रो० संपत सिंह : स्पीकर सर, गुलामी की निशानी को दूर करने के लिए सरकार यह बिल लेकर आई है। कैप्टन साहब जो सुझाव दे रहे हैं उन पर गौर कर लिया जायेगा।

Mr. Speaker : Question is —

That the Good Conduct Prisoners' Probational Release (Repeal) bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is -

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) **:** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

3. दि हरियाणा लोकल एरिया डिवैल्पमैंट टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) : Sir, I beg to introduce the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill, 2001.

Sir, I also beg to move—

> That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved —

> That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana Local Area Development Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is —

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) **:** Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is —

That the Bill be passed.

The motion was carried.

4. दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, a Minister will introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) **:** Sir, I beg to introduce the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 2001.

Sir, I also beg to move-

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री कृष्ण पाल : (मेवला महाराजपुर): स्पीकर सर, यह जो हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन) बिल, 2001 लाया गया है उसके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहुंगा। हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल याचिका नं० 13967 आफ 2000 (मै० गलैक्सी प्लाईवुड (पी०) बनाम हरियाणा राज्य व अन्य) में यह व्यक्त किया है कि एक्ट को पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता और यह माना है कि टैक्स प्रोत्साहन के अन्तिम

[श्री कृष्णपाल]
अधिसूचना की तिथि के उपरान्त ही उपलब्ध होगा। लेकिन हरियाणा सरकार यह चाहती है कि सरकार जब पोलिसी तय करती है उस समय से सेल्ज टैक्स लागू हो। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा पोलिसी तय करने और उसके बाद रूल्ज फ्रेम करने के बीच का जो अन्तर होता है उस समय को कवर करने के लिए सरकार सेल्ज टैक्स जब से पोलिसी तय की गई उस समय से लागू करने के बारे में यह अमैंडमैंट लेकर आई है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जब रूल्ज फ्रेम हों तब से सैल्ज टैक्स लागू माना जाना चाहिए। इस सम्बंध में या तो सरकार ऐसा कुछ प्रबन्ध अथवा व्यवस्था करे जिससे कि पोलिसी तय करने और रूल्ज फ्रेम करने के बीच में जो काफी समय का अन्तर होता है उसे कम किया जाए क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि जो विक्रय कर देता है वह खरीददार देता है। जब खरीददार कर दे देता है तो उसके बाद अगर इसमें छूट दी जाती है तो सरकार की कौन सी ऐसी एजैंसी है जो कर देने के बाद खरीददार को सेल्ज टैक्स वापिस पहुंचाएगी। इसलिए जब से रूल्ज फ्रेम हों तब से विक्रय कर लागू हो न कि पोलिसी तय करते वक्त। अन्यथा कल को दूसरी बात आ जाएगी कि सरकार के दिमाग में पहले से ही कोई कर लगाने की सोच थी । इसलिए समय के इस अन्तर को समाप्त किया जाए और इस बिल पर पुनर्विचार होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस अमैंडमैंट के माध्यम से सरकार की नीयत कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने की है। इससे हरियाणा सरकार के राजस्व को नुक्सान होगा। मैं चाहता हूं कि इस पर पुनर्विचार हो।

चौ० बंसी लाल (भिवानी) : अध्यक्ष महोदय, सरकार हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट) बिल, 2001 लेकर आई है, मै इसके बारे में कहना चाहूंगा कि इस बिल के ओब्जैक्ट्स एण्ड रिजन्स में हाई कोर्ट के फैसले के बारे में जो कहा गया है, मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट का वह फैसला ठीक है। उसी फैसले को मान्यता दे देनी चाहिए बजाय इसके कि आप अमैंडमैंट करें क्योंकि अगर यह अमैंडमैंट सरकार फाइनैंशियल बिल को विद रिस्ट्रोपैक्टिव इफैक्ट लागू करना चाहेगी तो इस एक्ट के जरिए फाइनैंशियल बिल विद रिस्ट्रोपैक्टिव इफैक्ट लागू नहीं हो सकता, मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है that should be hold valid.

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री कृष्ण पाल गुर्जर तथा चौधरी बंसी लाल जी ने हाई कोर्ट के फैसले का प्रश्न उठाया है। स्पीकर सर, वह इंसैन्टिव देने की बात नहीं है, हम इस अमैंडमैंट के माध्यम से किसी को कोई इंसैन्टिव नहीं दे रहे है। जो अंग्रेजी शराब है वह चाहे हमारे यहां बनती है चाहे हम इम्पोर्ट करते हैं उन दोनों के उपर सेल्ज टैक्स लगाने की बात है। पहले यह बात शिड्यूल "बी" में थी जो कि अब हम शिड्यूल "बी" से निकाल रहे हैं। क्योंकि भारत सरकार की सैन्ट्रल टैक्सिज को रैशनलाइज करने के लिये जो कमेटी है उनकी डायरैक्शन्ज आई हैं कि आप इन पर भी सेल्ज टैक्स लगायें। इसलिये हम किसी को कोई इंसैन्टिव नहीं दे रहे हैं बल्कि सेल्ज टैक्स लगाने की पॉवर गवर्नमैन्ट ले रही है। जो अंग्रेजी शराब यहां पर बनती है उस पर भी और जो शराब बाहर से आती है उस पर भी सेल्ज टैक्स लगाने की इजाजत दी जा रही है। यह बात शिड्यूल "बी" में से निकाली जा रही है और बाकायदा रेट के हिसाब से 500/- रूपये तक की बोतल के ये रेट होंगे और उसके बाद ये रेट होंगे। इस लिये किसी को कोई इंसैन्टिव नहीं दे रहे हैं बल्कि सेल्ज टैक्स लगाने की बात है।

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं यह मूल अधिनियम की अनुसूची "ख" के बारे में कह रहे हैं। जो हमने कहा है वह मूल अधिनियम की धारा 64 में जो उपधारा 2 है उसके

बारे में कह रहे हैं। इन दोनों में बडा भारी अन्तर है। हमने शराब के बारे में कभी नहीं कहा। हमने बिक्रीय कर की पाईप लाईन जो फैक्टरियों को दिया जा रहा है, उसके बारे में कहा है।

श्री अध्यक्ष : आप यह देखें कि अमैंडमेंट क्या लाई जा रही है, उसके बारे में आप देखें।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसमें किसी को छूट देने की, किसी का पक्ष लेने की या इस तरह की कोई और बात नहीं है। ये सारी बातें निराधार हैं। केवल मात्र जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजी शराब पर जो पहले "बी" शिड्यूल में थी अब उस पर सेल्ज टैक्स लगाने की बात है, इसके अलावा और कोई अमैंडमेंट नहीं है।

श्री कृष्ण पाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो कहा है, उसके संबंध में मैं इस बिल के वित्तीय ज्ञापन में से कुछ पढ कर सुना देता हूं-

> "कर पर आधारित प्रोत्साहानों के बारे में जो पहले ही उद्योगों को दिया जा चुका है तथा उच्च न्यायलाय के उक्त निर्णय से पहले पाईप-लाईन में उद्योगों को दिया जायेगा, की यथा स्थिति की बहाली के लिए संशोधन प्रस्तावित है।"

यह इसमें लिखा हुआ है।

प्रो० सम्पत सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ईण्डस्ट्रीयल पालिसी जिस दिन से लागू हुई थी उसी दिन से जिनका जो इन्सेन्टीव था, लागू होता है, बाद में लागू नहीं होता। हम इस अमैंडमैंट के जरिए आज से या अलग से किसी को कोई इन्सेन्टीव देने नहीं जा रहे। कहने का मतलब यह है कि इण्डस्ट्रीयल पालिसी जिस दिन से लागू हुई है उसी दिन से दे रहे हैं। किसी को सिंगल इन्सेन्टिव या किसी इण्डस्ट्रीज को सिंगल आउट करके किसी को कोई फायदा नहीं दिया जा रहा।

श्री कृष्ण पाल : स्पीकर साहब, मैं कह रहा हूं पालिसी तय करने के बाद जब रूल्ज फ्रेम हुए तो उसके बीच का जो समय है उस दौरान खरीददारों ने माल खरीद लिया और उन्होंने विक्रय कर दे दिया तो उसके बाद सरकार की कौन सी ऐसी एजेन्सी है जो खरीददारों को सेल्ज टैक्स वापिस पहुंचाएगी। सरकार अब जो अमैंडमेंट करने जा रही है, उससे तो केवल उद्योगपतियों को ही फायदा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि जिन खरीददारों ने माल खरीद लिया उन तक आप फायदा कैसे पहुंचाएंगे, आप जरा यह हमें बता दें।

प्रो० सम्पत सिंह : स्पीकर साहब, मैं इनकी बात समझ नहीं पाया कि किस को क्या फायदा कैसे जायेगा ?

श्री कर्ण सिंह दलाल : स्पीकर साहब,* * * * * * *(शोर)

श्री अध्यक्ष : ये जो कह रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाये।

Mr. Speaker : Question is—

> That the Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया।

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-4

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-5

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-6

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is —

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is—

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, a Minister will move that the Bill be passed.

Finance Minister (Prof. Sampat Singh) **:** Sir, I beg to move-

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

5. दि पंजाब न्यू कैपीटल (पेरिफेरी) कंट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2001

Mr. Speaker: Now, the Town and Country Planning Minister will introduce the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill, 2001 and will also move the motion for its consideration.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरिफेरी) कण्ट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 2001 प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि—

दि पंजाब न्यू कैपिटल (पैरिफेरी) कण्ट्रोल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Speaker : Question is—

That the Punjab New Capital (Periphery) Control (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House will consider the Bill clause by clause.

Clause-2

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-3

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause-1

Mr. Speaker : Question is—

That Clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Speaker : Question is—

That Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Speaker : Question is —

That Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the Town and Country Planning Minister will move that the Bill be passed.

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं : कि—

बिल पारित किया जाए।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Bill be passed.

Mr. Speaker : Question is—

That the Bill be passed.

The motion was carried.

Mr. Speaker : Now, the House is adjourned till 2.00 P.M. today.

*11.54hrs. (The Sabha then *adjourned till 2.00 P.M. today, the 12th June, 2001)

33380–H.V.S.–H.G.P., Chd.